खण्ड-112, अंक-2
मंगलवार, 22 आश्विन, शक संवत् 1874
(14 अक्टूबर, 1952 ई0)

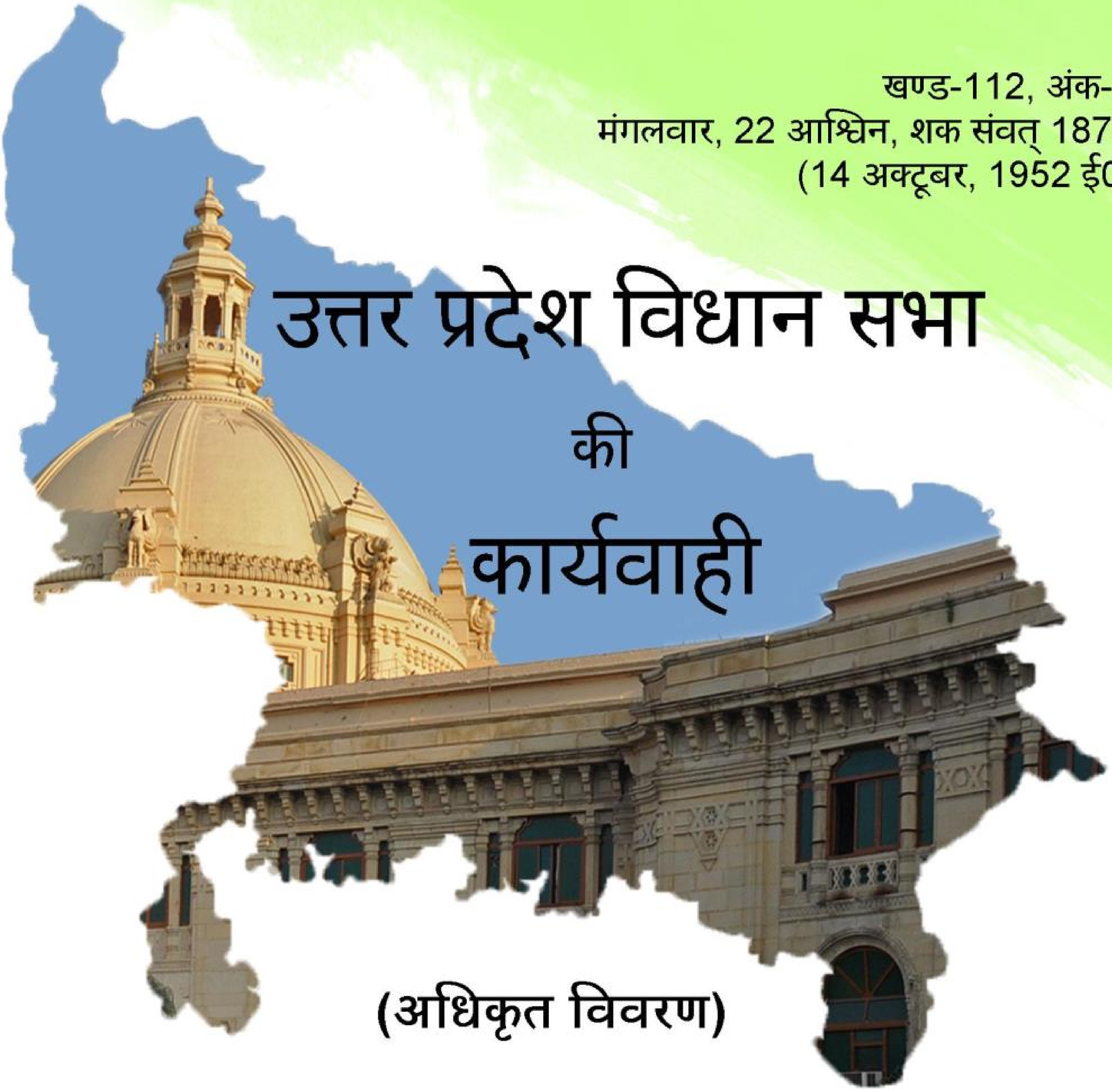

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 112 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
४ अप्रैल १९५४
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरुप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम , श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊ दयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती शूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री

बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणज्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयाशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडे, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिव राज सिंह यादव, श्री
शिव राम पांडेय, श्री
शिव राम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ट्यूबवेल निर्माण के ठेके

*१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा जो ट्यूबवेल निर्माण किये जा रहे हैं वे किस एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—उत्तर प्रदेश में चालू योजना में से अधिकांश पर वैभागिक एजेंसी द्वारा ही कार्य हो रहा है और आवश्यकतानुसार स्थानीय ठेकेदारों से काम ले लिया जाता है। केवल ४४० नलकूप की ही एक ऐसी चालू योजना है जिस पर सम्पूर्ण कार्य भारत सरकार की सिफारिश पर एक विदेशी कम्पनी सर्व श्री एशोसियेटेड ट्यूबवेल्स लिमिटेड द्वारा हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—उनको ठेका देने से पहले क्या कोई टेण्डर काल किये गये थे ?

श्री राममूर्ति—ठेका देने ··

अध्यक्ष—माननीय मंत्री बैठ जायं मैंने अभी उनको बुलाया नहीं, यह केन्द्रीय सरकार ने तय किया था इसलिये इस का ब्यौरा नहीं पूछा जा सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगे जो ट्यूबवेल दिये जायेंगे उन में इस बात का खयाल किया जायगा कि वह हिंदुस्तानी कम्पनियों को दिये जायं ?

श्री राममूर्ति—हमारी स्टेट द्वारा जो कुएं बनते हैं उनमें इस बात का खयाल किया जाता है कि पहले वह विभाग के द्वारा बनवाये जायं और अगर काम अधिक होता है तो ठेकेदारों से बनवाये जाते हैं जो अपने ही प्रदेश के लोग होते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—(जिला मुज़फ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो कण्ट्रेक्ट दिये गये हैं उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति अब तक करीब २०० ट्यूबवेल बन कर तैयार हुये हैं और बाकी में काम हो रहा है और उम्मीद है कि वे भी इस साल में पूरे हो जायगे।

*२—श्री देवकीनन्दन विभव—जिन ठिकेदारों को ठेके दिये गये हैं उनमें से कितनी भारतीय फर्म हैं और कितनी दूसरे देशों की और क्यों ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, अनेक स्थानीय ठेकेदारों का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों पर किया जाता है। केवल एशोसियेटेड ट्यूब वेल्स ही एक ऐसी विदेशी (अंग्रेजी) फर्म है जिसको ४४० नलकूप योजना को पूरा करने का सम्पूर्ण कार्य दे दिया गया है। इसका कारण मुख्यतः यह था कि भारत सरकार अपनी अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत अल्प सामयिक योजना में पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में १,००० नलकूप बनाने के लिये उत्सुक थी और इस सम्बन्ध में उसने सर्व श्री एशोसियेटेड ट्यूबवेल्स को इन १,००० नलकूपों का सम्पूर्ण कार्य देना उचित समझा क्योंकि इस फर्म के पास पूरा करने के लिये आवश्यक मशीनें तथा (Drilling rigs) जो सरलता से उपलब्ध नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में थीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रादेशिक ट्यूबवेल्स बनने का कार्य भी इसी कम्पनी को दिया जाता है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं, जो प्रदेश की ओर से बनाये जाते हैं वे विभाग के द्वारा बनवाये जाते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि जिन मशीनों और सामान की कमी है उसको मंगाने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—सरकार ने आर्डर दे रखा है और सब सामान आ जायगा तो बहुत से काम आरम्भ किये जायेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतावेंगे कि इस कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के बहाव का निरीक्षण

*३—**श्री राम अधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार वह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षों में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने किसी अमेरिकन विशेषज्ञ को प्रतापगढ़ जिले की सई नदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये भेजा था। यदि हां, तो विशेषज्ञ ने क्या रिपोर्ट दी है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—सरकार ने किसी विशेषज्ञ को प्रतापगढ़ में सई नदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये नहीं भेजा था।

पक्के कुंओं के निर्माण के लिये दी जाने वाली सहायता में कमी

*४—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या यह सत्य है कि पक्के कुंओं के लिये दी जाने वाली सहायता इस वर्ष आधी करदी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वर्ष कुआं बनाने के लिये सब्सिडी प्रदेश के १३ अभाव ग्रस्त पूर्वी जिलों में सीमित रक्खी गई है। इन १३ जिलों में से ६ जिलों में जो अभाव से विशेषतः पीड़ित हैं यानी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बलिया में ४०० रु० फी कुआं और बाकी जिलों में यानी गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इलाहाबाद, बनारस, तथा जौनपुर में २०० रु० फी कुआं सब्सिडी दी जायगी। बाकी जिलों में सब्सिडी बन्द कर देने का मुख्य कारण आर्थिक कठिनाई था। साथ ही भारत सरकार से जो सब्सिडी कूप निर्माण के लिये मिलती थी वह इस वर्ष से बन्द कर दी गई। यह भी अनुभव किया गया था कि यदि काश्तकार को समय पर कूप निर्माण की सामग्री मिल सके तो वह बिना सब्सिडी के भी कुआं बनवा लेगा। इसके अतिरिक्त नलकूप, नहर इत्यादि की अन्य योजनायें भी विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जायंगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि पिछले वर्ष में कुएं बनाने के लिये जिन लोगों को सामान मिल चुका और किसी कठिनाई वश वे नहीं बना सके और इस साल बनवा रहे हैं तो क्या उन्हें इस साल के हिसाब से या पिछले साल के हिसाब से सब्सिडी दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिनको सामान मिल चुका और जिनकी दरख्वास्तें ३० जून तक आ चुकीं हैं उनको पुराने हिसाब से मिलेगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार नियंत्रित मूल्य पर कुंएं बनवाने वालों के लिय अलग से सामग्री देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उनको सामग्री मिलने की व्यवस्था के लिये जो जिलों में प्लानिंग आफिसर्स हैं उनको ये हिदायतें हैं कि जो कोई कुआं बनवाना चाहे उसे सामग्री दिलवाने में पूरी सहायता करें और वे हर तरह से उनकी मदद करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि पक्के कुएं बनवाने के लिये २-२ साल से सीमेंट लोगों को नहीं मिला है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—दो साल की तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं पर सीमेंट की कठिनाई जरूर हुई है। सम्भव है अब यह कठिनाई न हो सके और यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान की ओर ध्यान दिलायेंगे तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ११ या १२ पूर्वी जिलों का उन्होंने जिक्र किया है उनको छोड़ कर प्रांत की दूसरी जगहों के किसानों द्वारा कुएं बनवाने के लिये कोई सहायता दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने जैसा जवाब में कहा, सब्सिडी का प्रश्न वहां नहीं रखा गया है। लेकिन नलकूपों के लिये सहकारी योजना है और उसमें सरकारी सहायता दी जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—किसी जिले में ४०० और किसी में २०० कुओं की व्यवस्था है यह भिन्नता क्यों रखी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—किसी जिले में ज्यादा जरूरत है और किसी में कम जरूरत है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—पिछले साल गोरखपुर में कितने पक्के कुंए बने ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस समय मैं अलग-अलग जिलों की बाबत तो नहीं बता सकता। इसके लिये अलग से सवालात करेंगे, तो बता सकूंगा।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—जितनी कुंएं की लागत होती थी क्या पहले उसकी एक चौथाई सरकार देती थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—चौथाई तो नहीं करीब-करीब एक तिहाई के बराबर थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि आजमगढ़ जिले में सरकारी आदेश के अनुसार बहुत से किसानों ने ईंटें पाथीं, लेकिन कोयला आदि सामान न मिलने के कारण बरसात में ईंटें गल गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आमतौर पर कुंएं गलाने का काम बरसात के बाद होता है। अब कोयले की भी कमी नहीं है, काफी कोयला आ चुका है जो जिलों को भेजा जा चुका है।

*५—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बतलायेगी कि इस वर्ष दी जाने वाली सहायता किस रूप में मिलेगी और कब से मिलेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रत्येक मंजूर शुदा कुआं बनाने के लिये पहिले निर्माण सामग्री के रूप में तकावी पूर्व की भांति मिलेगी। उचित ढंग से कुआं तैयार हो जाने पर जितनी सब्सिडी वाजिब होगी वह तकावी ऋण में मुजरा हो जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—५—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६—८—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

परगना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में सिंचाई के अभाव के कारण कृषकों को कष्ट

*९—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रियावली, नंगला, दत्याना इत्यादि परगना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में सिंचाई के अभाव के कारण वहां के कृषकों की दशा अत्यन्त खराब है ? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राममूर्ति—उक्त ग्राम हिण्डन तथा काली नदियां की खादर में पड़ते हैं। यह क्षेत्र अधिकतर ऊंचा-नीचा है और नहर अथवा नलकूप से सिंचाई के योग्य नहीं है।

ग्राम रियावली, नगला का लगभग ७८० एकड़ क्षेत्र, जो कि सिंचाई के लिये उपयुक्त है, सरकारी नलकूप संख्या २० काकड़ा ग्रुप के अधिक्षेत्र में पहले ही से है तथा उसमें गत चार वर्षों से सिंचाई हो रही है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी क्षेत्र के नसीरपुर और वसी ग्रामों की भूमि भी ऊंची-नीची है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार इन ग्रामों की जमीनों को हमवार करने की कोशिश कर रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के सामने नहीं है।

*१०—श्री श्रीचन्द—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*११—१३—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मुजफ्फरनगर में जिला जजी की मांग

*१४—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुजफ्फरनगर की जनता और बार एसोसिएशन अरसे से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिला मुजफ्फरनगरमें डिस्ट्रिक्ट जजी (District Judge's Court) होनी चाहिये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---वैभागिक काग़ज़ात को देखने से मालूम होता है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार ने हाई कोर्ट से भी इस बात के जानने का प्रयत्न किया है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जजी मिर्जापुर में भी खोली जा सकती है ?

श्री सैयद अली जहीर---खासतौर से मुझे मिर्जापुर नगर का तो ख़याल नहीं है लेकिन कई ज़िलों के मुताल्लिक़ हाई कोर्ट से राय ली गई थी।

श्री बलवन्त सिंह---क्या मुज़फ़्फ़रनगर की दरख़्वास्त जो डिस्ट्रिक्ट जजी बनाने के लिये हाई कोर्ट में चल रही है, सरकार मंगा कर उस पर विचार करेगी।

श्री सैयद अली जहीर---जब सरकार के पास आवेगी तो ज़रूर विचार किया जायगा।

*१५---श्री बलवन्त सिंह---सरकार इस मांग को कब तक पूरा कर सकेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका प्रश्न नहीं उठता है।

जुडीशियरी को जिलाधीश के अधिकार में रखने पर आपत्ति

*१६---श्री बलवन्त सिंह---क्या यह सही है कि जिन ज़िलों में (Executive) और (Judiciary) की अलहदगी है वहां भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आफ़िसरों तथा दूसरे जुडीशियरी के अधिकारियों पर ज़िलाधीश का अधिकार है ? इसे हटाने के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, जिन ज़िलों में जुडीशियरी (Judiciary) और एक्जीक्यूटिव (Executive) की अलहदगी है वहां जुडिशयल अफ़सरों तथा दूसरे अधिकारियों पर ज़िलाधीश का नहीं वरन् ऐडीशनल मैजिस्ट्रेट (Judicial) का अधिकार है। जुडीशियल एडीशनल मैजिस्ट्रेट ज़िलाधीश के अधीन नहीं समझे जाते वरन् वे कमिश्नर तथा राज्य सरकार से अपना सीधा सम्पर्क रखते हैं।

अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---क्या सरकार एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलहदा करने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलाहदा करने का तो हमारे कांस्टीट्यूशन में खासतौर से प्राविज़न मौजूद है और इस सरकार की भी नीति यही है कि उस बिल पर आख़िर अमल किया जाय।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (ज़िला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज़िलाधीश जुडिशियल आफिसर्स के कैरेक्टर के संबंध में कोई वार्षिक इन्दराज उनके कैरेक्टर रोल में नहीं करता है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये सूचना की ज़रूरत है।

गोरखपुर ज़िले में बाढ़ के दिनों में बर्ड घाट पैण्टून ब्रिज से राप्ती नदी पार करने में कठिनाई

*१७---श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (ज़िला गोरखपुर)---क्या यह सच है कि ज़िला गोरखपुर में राप्ती नदी में बाढ़ आ जाने से "बर्ड घाट पैण्टून ब्रिज" से यात्रियों को नदी पार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं। नदी पार करने के लिये नावों का उचित प्रबंध था।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नाव के प्रबंध में उस घाट पर कितनी नावें रखी गईं और कितने आदमी नित्य प्रति उन नावों से पार करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा मुझे मालूम है कि काफी तादाद में यात्री उससे पार हुये।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो नाव का प्रबंध किया गया है उसके बारे में काफी शिकायतें उनके पास आयी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

*१८—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि राप्ती नदी पर एक पक्का पुल बना दिया जाय ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी पक्का पुल बनाने में बड़ा खर्चा होगा। सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है।

*१९-२१—श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद (जिला रायबरेली)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मैनपुरी के ग्राम नगला कांस तथा उसके आसपास के क्षेत्र से वर्षा का पानी निकालने की व्यवस्था

*२२—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मैनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम नगला कांस तथा उसके आस पास के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा के पानी को बाहर निकलने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में वर्षा का पानी निकलने के लिये कोई व्यवस्थित नाला नहीं है।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में इस साल जो वहां की फ़सल बरबाद हुई है उसकी सूचना जिलाधीश को दी गयी है या नहीं?

श्री राममूर्ति—हमारे विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२३—श्री विष्णुदयाल वर्मा—क्या सरकार इस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था के हेतु कोई योजना बना रही है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। क्योंकि अब तक इस क्षेत्र में वर्षा का पानी भर जाने की कोई शिकायत नहीं थी। किन्तु अब यह जानने के लिये कि इस पानी को निकालने के लिये यहां नाला बनाया जा सकता है या नहीं इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया जायेगा।

*२४-२६—श्री देवकीनन्दन विभव—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*२७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये जिले की छोटी छोटी नदियों में बांध बनवाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु आजमगढ़ ट्यूबवेल डिवीजन के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस जिले का सर्वे (Survey) करेंगे ताकि लाभप्रद योजनाओं की व्यवस्था की जाये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अकाल-क्षेत्रों में पानी की सिंचाई की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, हम इस बात की कोशिश में हैं। हमारे यहां नगला और सुरही में रिजरव्वायर्स बन रहे हैं उनमें जब कामयाबी हो जायगी तो शारदा कैनाल को एक्सटेंड करेंगे और पानी उस क्षेत्र में पहुंचेगा। साथ ही साथ सर्वे हो रहा है और योजना का निर्माण हो जाने के बाद उस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल्स बनाये जायेंगे। इस साल भी १० ट्यूबवेल्स तजुर्बे के तौर से बन रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—वह तो मैंने अर्ज किया कि पूरे जिले का सर्वे हो रहा है। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे।

*२८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में इस साल कितने ट्यूबवेल्स बनाने की योजना चल रही है ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में इस साल ट्यूबवेल बनाने के विचार से भू-परीक्षण किया जा रहा है। अनुकूल परिणाम निकलने पर कुछ ट्यूब वेल इसी वर्ष बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है

*२९—श्री कमला सिंह (ज़िला ग़ाज़ीपुर) [२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में नल कूपों की योजना

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि फ़ैज़ाबाद जिले में अगले प्रोग्राम में कितने नलकूपों की योजना बनायी गयी है और विशेषकर अकबरपुर, टांडा, में जहां की सिंचाई का कुआं और तालाबों के अलावा नहरों आदि का कोई साधन नहीं है कितने नलकूपों का कोटा है ?

श्री राममूर्ति—४० नलकूप योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में ५६ नल-कूप का निर्माण पहले ही स्वीकार किया जा चुका है इसके अतिरिक्त Indo-U. S. Technical Co-operation Administration Programme के अन्तर्गत दो साल में इस जिले में १६० नलकूप बनेंगे।

इन नलकूपों की उपयुक्त स्थित जानने के लिये विस्तृत सर्वे हो रहा है। नलकूपों का विस्तृत वितरण सर्वे हो जाने के बाद में ही निश्चित किया जावेगा कि और उसी समय यह मालूम हो सकेगा कि किन तहसीलों में कितने-कितने नलकूप बनेंगे।

नल कूपों की सुविधा के लिये सोहवल के बजाय टांडा में नये पावर स्टेशन का निर्माण

*३१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि सरकार के विचाराधीन यह भी योजना है कि सोहवल के बजाय ७,५०० किलोवाट का नया पावर स्टेशन, टांडा में बनाया जाय ताकि उपरोक्त दो तहसीलों में नलकूपों के बनाने की सुविधा हो ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना नहीं बनायी गयी है परन्तु इसके संबंध में एक सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है जिस पर चीफ़ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी गई है ।

*३२-३३—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला बनारस की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुक़दमें

*३५—श्री रामलखन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस जिले की विभिन्न अदालतों में कितने ऐसे मुक़दमे हैं जो ३ वर्ष पहले से चल रहे हैं और उनमें धारा १४५, जाब्दता फ़ौजदारी के अन्दर कितने मुक़दमें हैं और उनका अब तक निर्णय क्यों नहीं हो पाया है ?

श्री सैयद अली जहीर—बनारस जिले की अदालतों में सिर्फ एक मुक़दमा ३ साल पहले से चल रहा है जो कि जाब्ता फौजदारी की धारा १४५ के अन्तर्गत है । इस मुक़दमें के अब तक फैसला न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

१—कई तारीखों पर न्यायाधीशों का प्रबंधक कार्य (Executive work) में, जैसे चुनाव, जमींदारी उन्मूलन वग़ैरह में मसरूफ़ रहना ।

२—कई तारीखों पर न्यायाधीशों को पुलिस के मुक़दमात के कारण समय न मिलना ।

३—कई तारीखों पर दूसरे मुक़दमों की वजह से इस मुक़दमें की सुनवाई न हो पाना ।

४—कुछ तारीखों पर फरीकैन (Parties) का हाजिर न होना ।

५—कुछ तारीखों पर वकील का और अदालत में मसरूफ रहने की वजह से अदालत में हाजिर न हो पाना और मुक़दमें का मुल्तवी किया जाना ।

६—मुक़दमें का एक अदालत से दूसरी अदालत में तबादला किया जाना ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को मालूम है पक प्रिवेंटिव सेक्शंस के मुक़दमें १०७,११०,१४५ आदि के जो होते हैं उनमें छः महीने से ज्यादा दिनों की देर लगती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मुझे नहीं मालूम कि आम तौर से ज्यादा देर लगती है लेकिन बाज मुकदमों में देर जरूर हो जाती है ।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस मुक़दमें का उन्होंने जिक्र किया कि तीन साल से चल रहा है वह सात साल से चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार जैसे फौजदारी के मुक़दमों के लिये फैसल होने का समय निश्चित है उसी प्रकार से इन प्रिवेंटिव सेक्शंस के मुकदमा के फ़ैसल होने का समय निश्चित करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—समय तो निश्चित है । मगर बाज वक्त उस पर अमल नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह मुक़दमा तीन साल से नहीं बल्कि सात साल से चल रहा है ?

श्री सैयदअली जहीर—अगर आप सूचना देंगे तो जांच करवाऊंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके अनुसार इन मुक़दमों के फैसल होने में जल्दी हो ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तो महज एक जिले के मुताल्लिक़ सवाल है। जो आम सवाल उठाया गया है उसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है और ऐसा हुक्म जारी हो चुका है कि मुक़दमें जहां तक हों जल्द फैसल हों ।

*३६–३७—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—[२८ अक्तूबर १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले की प्रथम तथा द्वितीय फेज में आने वाली सड़कें

*३८—श्री शिववक्ष सिंह राठौर—(जिला मैनपुरी)—क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में कौन-कौन सी सरकारी सड़कें प्रथम फ़ेज (First Phase) में, और कौन-कौन सड़कें द्वितीय फ़ेज (Second Phase) में हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रथम फ़ेज में ली गई सड़कों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

द्वितीय फ़ेज प्रोग्राम अभी बना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७८ पर)

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या सरकार यह बतलायेगी कि फर्स्ट फ़ेज में ली गई सड़कों की तालिका किस आधार पर और किसने बनायी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विभाग के द्वारा बनायी गयी थी और जो रिपोर्ट नीचे से, जिलों से आई और प्लानिंग कमेटी की ओर से उनके आधार पर बनायी गयी।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या यह सही है कि युद्धोत्तर योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाया गया था वह उससे भिन्न था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

*३९–४१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२–४३—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

कालपी, जिला जालौन में बरसात के दिनों में यमुना नदी को पार करने का प्रबन्ध

*४४—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कालपी (जिला जालौन) में बरसात में यमुना दरिया पार करने का (Ferry) का क्या प्रबंध है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नदी को पार करने के लिये वर्षा ऋतु में नावें और एक पावर टग का प्रबंध है ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को मालूम है कि जो पावर टग बरसात के दिनों में मदद देता है उसको पेट्रोल इतना कम मिलता है कि वह बराबर खड़ा रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी ऐसी कोई शिकायत है नहीं । लेकिन अगर माननीय सदस्य को कोई खास शिकायत हो तो वह लिख कर भेजें । उसकी जांच करायी जायेगी ।

*४५---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को मालूम है कि कालपी में दरिया जमुना पार करने का कोई ठीक प्रबंध न होने के कारण जाने-आने वालों को चार-चार व छै-छै दिन तक पड़ा रहना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी असुविधा केवल नदी में ४५ फ़ीट के ऊपर बाढ़ आने पर होती है यह समय चार या पांच रोज़ से अधिक नहीं होता है । ऐसी अवस्था में पैदल यात्री रेल के पुल द्वारा नदी पार करते हैं ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को यह मालूम है कि बरसात में जो ५-५, ६-६ दिन के लिये लोग पड़े रहते हैं वह पावर टग न चलने की वजह से और मल्लाहों का नाव पर काफ़ी संख्या में न होने की वजह से भी पड़े रहते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जब ४५ फीट से ज्यादा बाढ़ होती है तो न तो नाव से, न पावर टग से यात्रियों का जाना ठीक है, क्योंकि उससे माल और जान का ख़तरा रहता है । तो ऐसी दशा में जब कि दो चार रोज़ के लिये बाढ़ इतनी ज्यादा हो जाती है तो यात्रियों की यात्रा नावों से या पावर टग से बन्द कर दी जाती है और पैदल यात्री रेलवे ब्रिज से पार कर सकते हैं ।

*४६---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को यह मालूम है कि बरसात के दिनों में कालपी में जो यमुना पर रेल का पुल है उस पर से मोटरकारों का आना जाना बन्द कर दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां ।

राजा वीरेन्द्र शाह---जो पहले रेल के पुल से कार और लारी के निकलने का प्रबंध था क्या सरकार फिर से उसको जारी करने की कोशिश करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के रेलवे मिनिस्टर से लिखा पढ़ी की थी लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात के लिये तैयार नहीं है कि इस रेलवे ब्रिज को किसी सवारी के लिये इस्तेमाल करने दें ?

ग्राम रोहता, जिला आगरा में वर्षा का पानी निकालने की योजना

४७---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम रोहता (जिला आगरा) में पिछले कई वर्षों से और इस साल भी, वर्षा का पानी भर जाने के कारण खेती करना असम्भव हो गया है ?

श्री राममूर्ति---जी हां । आगरा जिले के रोहता ग्राम में पिछले वर्षों में अधिक वर्षा के कारण आपत्ति रही है । इस वर्ष भी वहां अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण वहां पानी भर गया था ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह क्या कारण थे कि यहां पर बराबर पानी भरते हुये और फसल नष्ट होते हुये भी लगान में एक पैसे की छूट नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लगान में छूट होने की बात तो आबपाशी के रेट में मौजूद है। दूसरे लगान मुल्तवी किया गया और उतनी ही जरूरत समझी गयी। लिहाजा लगान मुल्तवी करके छूट दी गयी।

*४८—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि बराबर ५–६ साल से दोनों में से एक भी फसल के न होते हुये भी सरकार की ओर से न आबपाशी और न लगान में किसी प्रकार की छूट दी गई ?

श्री राममूर्ति—सबसे पहले सन् १९४९ ई० में यह आपत्ति पैदा हुई थी। रबी की फसल में कोई नुक्सान नहीं हुआ। खरीफ १३५६ फसली १९४९ ई० में ८ रु० ११ आने ९ पाई की तथा खरीफ १३५७ फसली १९५० ई० में ३४१ रुपया १२ आना ९ पाई की आबपाशी में छूट फसल नष्ट हो जाने के कारण दी गई थी।

इसके अतिरिक्त १३५७ व १३५८ फसली में १,४८० रु० व ६६२ रु० क्रमशः लगान वसूलयाबी कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दी गई थी और इस रूप में सहायता दी गई थी। इस वर्ष लगान में क्या छूट दी जाए यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—जो इस गांव की ऐसी दुर्दशा है, क्या इस साल लगान को बिलकुल माफ कर देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लगान की छूट तो जांच पड़ताल के बाद होती है, कुछ नियमों के अनुसार। यदि उस नियम के अनुसार आवश्यक समझा गया तो अवश्य गवर्नमेंट विचार करेगी।

*४९—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ग्राम को इस व्याधि से मुक्त करने के लिये उसने (Drainage) की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति—रोहता गांव की इस आपत्ति को दूर करने की समस्या विचाराधीन है और एक योजना इस संबंध में बनाई जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्न उत्पादन और अन्न रक्षार्थ ड्रेनेज की सुव्यवस्था पर गवर्नमेंट अगले वर्ष और अधिक व्यय करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो इस प्रश्न से निकलता नहीं है, लेकिन यह ठीक है कि छोटी-छोटी इरिगेशन की स्कीम जिनमें पानी निकालने की बात है सरकार के विचाराधीन हैं और यदि ऐसा कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करती है।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या पानी के निकास की योजना जो सरकार बना रही है वह सन् ५३ की बरसात के पहले पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—इस गांव से पानी निकालने के लिये एक योजना बनी थी और १,६०० रुपये की कीमत में वहां पर एक नाली बनाने का इन्तजाम हुआ, लेकिन चूंकि वह कुछ खेतों के बीच से पार हो रही थी इस लिये काश्तकार तैयार नहीं हुये। इसलिये दूसरी योजना १० हजार की लागत की बनाई गयी है। सर्वे हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि वह जल्द बना दी जायेगी।

वर्ड घाट, गोरखपुर की फ़ेरी पर घाट पार करने वालों से किराये की वसूली

*५०—श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि वर्डघाट, गोरखपुर की फेरी पर घाट पार करने वाले लोगों से किराया वसूल किया जाता है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी नहीं, नाव द्वारा घाट पार करने का किराया लिया जाता है।

*५१—श्री राम अवध सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इस किराये की वसूली को कभी माफ भी कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः वसूली का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं,

---

१३ अक्तूबर, १९५२ के कतिपय अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण

अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । कल कुछ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय स्वशासन मंत्री के उत्तर देने के लिये थे । उस सम्बन्ध में उन्होंने यहां पर यह उत्तर दिया था कि वे दौरे से अभी आये हैं । मैंने यह कहा था कि यह कोई कारण नहीं हो सकता, उत्तर न देने का। इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी गलतफहमी मेरी भी रही है और उनकी भी रही है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनके यहां से उत्तर मेरे सचिवालय में आ चुके हैं और मुझे यह मालूम नहीं था कि उनके दफ्तर को सूचना उत्तर की तिथि की प्राप्त नहीं हुई है इसकी सूचना स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर को दी गई है, या नहीं दी गई है । मैंने समझा कि दी गई होगी । तहकीकात करने के बाद मुझे यह पता चला कि तारीख ११ अक्तूबर को साढ़े ५ बजे इसका उत्तर विधान सभा के सचिवालय में आया और पूछा गया कि किस तारीख के लिये यह उत्तर रक्खे जायेंगे, यह हमारा सचिवालय स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर को बतावे। तो साढ़े ५ बजे आने की वजह से करीब साढ़े ६ बजे हमारे सचिवालय से उत्तर गया, लेकिन उस उक्त माननीय स्वशासन मंत्री जी का दफ्तर बन्द हो गया था। उस समय न इस दफ्तर में कोई था और न उस दफ्तर में कोई था। सिर्फ दफ्तरी या कोई ऐसा ही अन्य वहां पर मौजूद था, डिस्पैचर शायद मौजूद हो, उन्होंने यह उचित समझा कि चूंकि शनिश्चर था ११ तारीख को, इसलिये सोमवार को स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर में यह इत्तिला भेज दी जायगी की १३ तारीख को लिये जायेंगे। इस प्रकार तारीख १३ को जो शख्स वह पत्र ले कर गया वह पत्र स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर में १२ बजे मिला और उत्तर का समय ११ बजे का था । इस से यह गलतफहमी उनको हो गयी क्योंकि उनके दफ्तर को पता नहीं था कि आज उत्तर देने के लिये हैं। यह स्पष्टीकरण करना मैं इसलिये उचित समझता हूं क्यों कि मैंने कल यह कह दिया था कि यह कोई कारण नहीं है और वह मेरा कहना भी उचित ही उस वक्त के लिये था क्योंकि मैं इस भ्रम में था कि उनके दफ्तर को सूचना मिल चुकी है और वे दौरे पर जा करके आज आये हैं यह कोई कारण उत्तर देने का नहीं हो सकता । इसके बाद मैंने तहकीकात करना उचित समझा। उनके दफ्तर की मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं है सिवाय इसके कि वह अगर जो कार्यक्रम दिया गया था वह देख लेते और माननीय मंत्री जी को सूचना दे देते, इतना सजग रहते तो और उचित होता लेकिन कोई विशेष आपत्तिजनक उसमें बात नहीं थी। जहां तक हमारे सचिवालय का संबंध है उसमें भी चूंकि बहुत देर हो चुकी थी वह भ्रम

[अध्यक्ष]

में रहे। थोड़ी सी गलती उनकी यह है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी के घर पर या उनके सचिव के घर पर भेज देना चाहिये था, या कम से कम इस बात की उनको फिक्र होने चाहिये कि सोमवार के रोज सुबह जल्दी भेजवा देते। यह उन्होंने नहीं किया। मैंने इस संबंध में हिदायत उनके लिये कर दी है।

सदन के स्थगन के संबंध में पूछताछ

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं चाहता हूं। कल सदन के सामने सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद दीवाली की शायद छुट्टी होने वाली दीवाली का त्यौहार है। यह बहुत अच्छा होता अगर यह मालूम हो जाता कि सदन अगले कितने दिनों के लिये उठेगा। अच्छा होता अगर इस कार्तिक के महीने में हम लोग अपने क्षेत्रों में जा करके अपने घरों पर कुछ खेती बाड़ी का काम भी देख लेते।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—इसकी सूचना कल दी जायगी।

उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

*खंड २ (क्रमागत)

अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन दिया था उसके ऊपर बहस कल हो रही थी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा था उस पर मुझे यह कहना है कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन इस अर्थ का है कि जो पुनर्वासन अनुदान कर्ज से मुक्त नहीं किया गया है वह कर्ज के भार से मुक्त कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब बात है और कोई आज ही नहीं, यह तो पहले से इस सरकार की और जिस दल की यह सरकार है उसकी भी यह घोषित नीति रही है कि प्रदेश में जितने छोटे जमींदार हैं उनके हितों की रक्षा की जाय। वे अगर ऐसी बात सोचते थे तो वह कुछ अकारण नहीं था। मैं भी समझता हूं कि वह सोचना बहुत ही मुनासिब था। ढाई सौ या इससे कम मालगुजारी देनेवाले जमींदारों की संख्या हमारे सूबे में १९,८६,६४१ है। जमींदारों की कुल संख्या हमारे सूबे में २०,१६,७८३ है जिसमें से ढाई सौ वाले तबके के लोगों की संख्या १९,८६,६४१ है और २५ रुपये तक देने वालों की संख्या १७,१०,५३० है। तो इस प्रकार से जमींदारों में से एक बड़ी भारी संख्या ऐसी थी जिस संख्या को जमींदारी नाश हो जाने के बाद किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाय इसका ध्यान कांग्रेस हुकूमत ने रखा। मैं इस वक्त जो इस विधेयक को देखता हूं तो उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ भी कानून के ज़रिये उन छोटे जमींदारों की उस हिफाजत पहले की गई थी उस हिफाजत पर पानी फेर दिया गया और यहां तक कि इस कानून में तो यह गुंजाइश कर दी गयी है कि जो पुनर्वासन अनुदान की रकम होगी उस रकम में से तीन-चौथाई रकम तक कुर्क की जा सकेगी। यही नहीं बल्कि यहां तक कहा गया है कि जरा मैं इस खंड को आपके सामने रख दूं तो अच्छा होगा "उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीति प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।" यह खंड ८ (क) के उपखंड (ख) में दिया हुआ है। तो छोटे जमींदार ऐसे भी हैं जो सादा कर्जा लोगों से लेते हैं और उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ सादे कर्जे का है। सादा कर्जे के संबंध में यह विधेयक नहीं है खामोश है, बंधक वाले कर्जों में ही.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—नहीं बोलता है, इसकी धारा ९ देखिये।

श्री गेंदा सिंह—जहां तक खंड ८ का संबंध है उसमें साफ बात है कि और कर्जों से इसका कोई संबंध नहीं है, बंधक कर्जों से ही इसका संबंध है। इसमें तीन चौथाई तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट पर बोझा डाला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर मान लिया जाय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बिना बंधक वाले कर्जों के बारे में भी यह कहता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे जमींदारों के बिना बंधक कर्ज भी हैं और यह कर्ज उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। छोटे-छोटे जमींदार छोटे-छोटे कर्जे दूसरों से लेते हैं और वह प्रोनोट पर लेते हैं, अपने विश्वास पर लेते हैं और काम चलाते हैं। इन कर्जों का बोझ तो उनके ऊपर रहेगा ही और उनको देना ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो बंधक कर्ज हैं उनमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट ३/४ कुर्क की जा सकती है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादती की बात है और मैं बहुत ही जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कानून के जरिये उनकी हिफाजत करने की बात सोची गई थी अब यह बात उल्टी जा रही है।

मैं राजस्व मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त भूमिहीन किसानों की बात की जाती है और यह कहा जाता है कि उस समय किसी भी जमींदार की या किसी की जमीन किसी के कब्जे में हो, तो जोतने वाले को मालिक बना दिया जाय तो उस समय उनकी यह दलील कि २५० रुपये से नीचे के जमींदारों की जमीन के मौरूसी काश्तकार बनना वह पसंद नहीं करते हैं, हम लोग भी उनकी इस दलील के सामने झुकते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ तत्त्व है। लेकिन छोटे काश्तकारों के मुकाबिले में भूमिहीन मजदूरों के मुकाबिले में छोटे जमींदारों की हिफाजत की जाती है। लेकिन जब महाजन की बात आई जिसने कि सूद से कुछ कर्जा बढ़ाया तो फिर वैसे आदमी के मुकाबिले में छोटे जमींदारों की हिफाजत की बात की जानी चाहिये थी तो यहां पर वह बेदर्दी का काम होता है और माननीय राजस्व मंत्री और उनकी सरकार कुछ रहम नहीं खाते हैं और पुनर्वासन अनुदान को भी कर्जे में दे देने में संकोच नहीं होता। इसका मतलब मैं समझता हूं कि हुकूमत ने यह समझा था कि जिसकी जमींदारी खत्म कर रहे हैं उनमें से बड़ी भारी तादाद ऐसे लोगों की है जो जमींदारी पर ही अपना गुजारा करते हैं तो उनको थोड़ी सी इमदाद करेंगे तो मुमकिन है कि यह लोग आगे देश के अन्न के उत्पादन में मदद करें और देश की तरक्की करें तो केवल इस बात को उन्होंने सोचा था। और यह ठीक भी सोचा था पर राजस्व मंत्री को फिर सोचना चाहिये और उन्हें अपनी बातों के उल्टे न जाना चाहिये।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने बार-बार जोर दिया है कि देश में इक्वैलिटी और सोशल जस्टिस के प्रश्न को सामने रखा जाय। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जो रीढ़ है सोशल जस्टिस और इक्वैलिटी तो क्या वह इस ग्रांट के देने से पूरी होती है। बड़े जमींदारों के बारे में, २५० रुपये से ऊपर वालों के बारे में तो मैंने मान लिया कि वह बड़े लोग हैं। सरकार ने तो दस हजार तक के जमींदारों को देने की बात की है। मैं यह कह रहा हूं कि श्री रामनारायण जी का संशोधन कहता है कि २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों से यह चीज रिहैबिलिटेशन से ले ली जाय लेकिन ढाई सौ से नीचे जो जमींदार की भारी तादाद है वह १९ लाख

[श्री गेंदा सिंह]

८६ हजार है, उनके मुताल्लिक़ राजस्व मंत्री जी और उनकी सरकार को सोचना चाहिये और जो बातें उनके मुताल्लिक़ वह पहले कह चुके हैं उससे पीछे उनको नहीं जाना चाहिये।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर अब बहस समाप्त की जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अभी एक आध भाषण इस पर और होना चाहिये।

अध्यक्ष—क्लोजर को अब पहले प्रिफरेंस दिया जायगा।

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव पर अब बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबद)—अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन पर कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया। उसमें पहले सदस्य माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी थे उन्होंने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो हमेशा जमींदारों के खिलाफ रही है, शायद यह संशोधन भूल से आ गया तो ऐसी बात नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी जमींदारों को प्रतिकर देने के खिलाफ रही है और वह इस बात पर हमेशा जोर देती रही, जब-जब प्रतिकर का सवाल आया तो उसने यह कहा कि प्रतिकर देना किसी भी हालत में मुनासिब न होगा। प्रतिकर देने से एक नजीर कायम हो जाती है। आज हम किसानों से दस गुना वसूल करके जमींदारों को किसी तरह से प्रतिकर दे भी दें हालांकि वह भी असंभव हो गया, लेकिन इसके बाद जब देश के बड़े-बड़े कल-कारखाने के मालिकों बिरला टाटा आदि को प्रतिकर कैसे दिया जायगा, लिहाजा यह बात ग़लत होगी। लेकिन इसके साथ ही जितने माननीय सदस्य कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हैं और हमारी पार्टी के सदस्य सभी हमेशा एक स्वर से कहते आये हैं कि ढाई सौ से कम मालगुजारी देने वाले जो जमींदार हैं और उसके ऊपर देने वाले जमींदारों में फ़र्क़ रहा है। हमेशा कांग्रेस की तरफ़ से यह कहा गया है कि ढाई सौ से नीचे जो मालगुजार थे वे किसानों की तरह हैं। अगर हमारी पार्टी की बात मानी जाती और जमींन का बटवारा किया जाता तो उस हालत में ढाई सौ रुपये से नीचे के मालगुजार जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है उनको कम से कम ३० एकड़ जमींन मिल जाती तो इस प्रतिकर और रिहैबिलिटेशन से ज्यादा फायदे की बात वह होती, लेकिन वह नहीं किया गया। सरकारी दल की तरफ से उनको पुनर्वासन अनुदान दिया गया। साथ ही साथ प्रतिकर दिया गया। प्रतिकर के बारे में हम हमेशा मुखालिफत करते रहे तो प्रति कर की रक़म तो कुछ अंशों में ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी में ले ली जाय, इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन पुनर्वासन अनुदान तो इसलिये दिया गया है कि वे नये सिरे से कारोबार शुरू कर सकें। कई जमींदार मिल कर कोआपरेटिव बेसिस पर कारोबार शुरू कर सकें। जो रक़म इसलिये दी जा रही है उसकी अदायगी ऋणदाताओं के कर्ज़े की अदायगी में हो जाय तो यह नामुनासिब बात है। माननीय राजस्व मंत्री के सभासचिव श्री मौर्य जी ने यह कहा कि संभवतः हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक में प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान को केवल ३/४ भाग तक ही ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी में मुजरा किया जा सकता है। हम धारा ८(१)(ग) को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि जिस वक्त हम स्केल बनाना शुरू करेंगे उस वक्त इस बात का लिहाज रक्खेंगे कि पहिले प्रतिकर की अदायगी हो, फिर पुनर्वासन अनुदान लिया जाय लेकिन इस विधेयक में इस बात का कहीं समावेश नहीं है। इसलिये अगर मैं गलत समझा हूं तो वह मुझे ठीक कर देंगे और इसका स्पष्टीकरण देंगे कि पुनर्वासन अनुदान में से ऋण की अदायगी नहीं होगी।

माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि संशोधन की परिभाषा ठीक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि परिभाषा में कोई नावाजिब बात नहीं है । माननीय बलवन्त सिंह जी अगर चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं और हमें इस बात की उम्मीद है कि फिर वह हमारा साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने प्रान्त के जमींदारों की संख्या का जिकर किया है कि २५ रुपया से कम मालगुजारी देने वालों की तादाद १७ लाख के क़रीब है । जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा ९८ के अनुसार एक सूची बनी है उसमें १०० से ऊपर और २५० रुपये से कम मालगुजारी वालों को ११ गुना तो प्रतिकर ८ गुना पुनर्वासन अनुदान मिलेगा। मान लीजिये कि कोई २५ रुपये तक का मालगुजार है तो उसको २० गुना मिलेगा। एक उदाहरण मैं आप के सामने रखता हूं। एक जमींदार २५ रुपये का मालगुजार है और वह ६५ रुपया वसूल करता हो और उसमें ४० रुपया उसको मुनाफा होता था तो उसमें उसको ३२० रुपया तो प्रतिकर मिलेगा और ८०० रुपया उसको पुनर्वासन अनुदान मिलेगा, जो उसको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है । इसी तरह से हो सकता है कि २५० रुपये का मालगुजार है और उसका मुनाफा ४०० रुपया है तो ३,२०० रुपया तो उसको प्रतिकर मिलेगा और ४,४०० उसको पुनर्वासन अनुदान मिलेगा । अब बतलाइये कि उससे वह अपना कारोबार कैसे कर सकेगा । यह तो इतना कम अमाउण्ट (रक़म) है कि इससे बहुत ज्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है । किसी भी स्कीम को चलाने के लिये उनको २-४ जमींदारों को मिला कर कोआपरेटिव बनाना पड़ेगा । वह किसी तरह से भी पुनर्वासन अनुदान मिलने पर अकेला बड़ा काम जमींदार नहीं कर सकता है। अगर वह बड़े पैमाने पर खेती करना चाहेंगे तो उनको ऋण लेकर काम करना होगा । इसी वजह से यह संशोधन रखा गया है कि उनके साथ कम से कम न्याय किया जाय तभी उनका कुछ भला हो सकता है और सुधार हो सकता है । मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे माननीय त्रिपाठी जी को निराश करना पड़ेगा अर्थात् इस संशोधन का मुझे विरोध करना पड़ेगा । इस संबंध में ३-४ बातें याद रखने के लायक़ हैं । पहली बात यह है कि यह कहा जाता है कि सरकारी बेंचों की तरफ से बार-बार यह कहा गया कि २५० रुपये से कम मालगुजार तो काश्तकार हैं काश्तकारों में कोई फर्क़ नहीं है, लिहाजा उनके क़र्ज़े को जैसा कि आप का संशोधन है बिल्कुल माफ कर दिया जाय । इस सिलसिले और उनमें और में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई बात कभी गवर्नमेंट की तरफ से इस कंटेक्स्ट में नहीं कही गयी । २५० से कम वाले छोटे काश्तकार हैं और इससे ज्यादा वाले जमींदार हैं तो उसकी बाबत तफरीक यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ में सीर के काश्तकार, गैरदखलीकार बेदखल हों या नहीं उसमें २५० रुपया मालगुजारी वालों को बताया है। १९४६ में जब कांग्रेस मंत्रि मंडल बना और वह मंत्रिमंडल अब भी मौजूद है, उसकी तरफ से कोई तफरीक जहां तक जमींदार होने का संबंध है चाहे वह छोटा मालगुजार हो या बड़ा मालगुजार हो उसमें कोई बात नहीं कही गयी । जमींदारी खत्म करने के लिये जो अधिनियम बना है उसमें तो चाहे एक रुपये का मालगुजार हो और वह खुदकाश्त नहीं करता है तो वह मध्यवर्ती माना जायगा और वह लैंडलार्ड माना जायगा और उसकी मिलकियत ले ली जायगी तो हमने किसी तरफ का भी इम्तियाज नहीं रखा है । सिर्फ एक जगह पर रखा है और वह यह है कि २५० रुपये से ज्यादा मालगुजार की सीर के गैरदखीलकार अधिवासी करार दिये हैं और बड़े मालगुजारों की सीर के ग़ैरदखीलकार काश्तकार को सीरदार क़रार दिया है बाक़ी लैंडलार्ड छोटे और बड़े दोनों हैं और उस ऐक्ट के शुरु पन्ने से आखिरी पन्ने तक यही उसूल माना गया है। तो केवल इस कारण की कोई २५० रुपये का मालगुजार है इस कारण से उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई है । इसलिये छोटा मालगुजार भी किसी रियायत का मुस्तहक़ नहीं होना चाहिये ।

[श्री चरण सिंह]

दूसरे अगर मान भी लें कि वह छोटे आदमी हैं तो जिन लोगों ने क़र्ज़ा दिया है वही कौन से बड़े आदमी हैं । छोटे जमींदारों को आम तौर से दूसरे छोटे जमींदार ही दे देते हैं और वह गांव ही में आपस में लेनदेन किया करते हैं । कम हैसियत वाले जरा अपने से कुछ ही बड़ी हैसियत वालों के यहां अपने खेत रहन कर देते हैं और जिन्होंने कर्ज़ा दिया है वह भी कोई बहुत बड़ी हैसियत के आदमी नहीं होते हैं । छोटे तो आपस में छोटों से ही कर्ज़ा लिया और दिया करते हैं।

तीसरी बात यह भी याद रखना चाहिये कि जमींदारी तो हमने ली लेकिन, जो संशोधन समाजवादियों की ओर से आया है इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यह जमींदारों के पक्ष की बात है, जब कि समाजवादी हमेशा कहते रहे हैं, कि जमींदार तो भेड़िया होता है, चाहे अवधेश प्रताप सिंह जी नाराज हो जायं, हम तो उनको कभी भेड़िया नहीं मानते, हम तो उन्हें भी भाई ही मानते हैं और जमींदारी को तो हम परिस्थितियों से मजबूर हो कर खत्म कर रहे हैं, तो जहां जमींदारों के साथ इतनी उदारता का बर्ताव हमने किया है वहाँ जिसने कर्ज़ा दिया है उनको भी हम अपना भाई और मनुष्य ही मानते हैं । इन लोगों ने जिन्होंने कर्ज़ा दिया है उन्होंने भी अपनी जिन्दगी भर सेविंग करके यह रुपया इनको दिया था और यही उनकी सारी उम्र की कमाई थी । वैसे तो कर्ज़ा कम किया जा रहा है यह भी जमींदारों के ही साथ रियायत की जा रही है । इन छोटे कर्ज़ा देने वालों ही ने आपका क्या बिगाड़ा है आप इसमें जमींदारों का पक्ष क्यों ले रहे हैं। पक्ष तो जितना लेना चाहिये उतना हम भी कर रहे हैं लेकिन जो कर्ज़ा देने वाले हैं उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो जमींदारों ने नहीं किया है । जमींदारों ने तो ग़लती की कि न जाने किस तरह से जमींदारी हासिल की और दूसरों की कमाई खाते चले आते थे लेकिन इन लोगों ने तो मुश्किल से रुपया कमा करके इनको क़र्ज़ा दिया था। मार्क्स साहब ने भी यही लिखा है कि सबसे बुरा केपिटलिज्म अगर है तो वह जमींदारों का ही है और वही सब से बुरा और रद्दी केपिटलिस्ट है जो कुछ नहीं करता, समाज की कोई सेवा नहीं करता और बैठा-बैठा खाया करता है । जब कि कारखाने वाले ईंट पर ईंट रखते हैं और मेहनत करते हैं रातदिन मशीनें चलाते हैं, और लेन-देन करने वाला भी किसी तरह से मेहनत से रुपया बचाता है और लोगों का काम निकालने के लिये अपना रुपया दे कर रिस्क लेते हैं लेकिन जमींदार तो खेवट में नाम दर्ज है और बस दूसरों की कमाई बैठा खाया करता है। तो सब से खराब किस्म का जो पूंजीपति है वह जमींदार है और उसका पक्ष अब आप कैसे कर रहे हैं । इसलिये इन छोटे क़र्ज़ देने वालों को मारना मुनासिब न होगा।

चौथी बात.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । मैं यह कह रहा हूं कि पुनर्वासन भत्ता ऋण की अदायगी में न दिया जाय। मैं छोटे जमींदारों के कर्जों को माफ़ करने की बात नहीं कहता ।

श्री चरण सिंह—मैंने यह भी कहा कि जितना हम कर रहे हैं जमींदारों के हक़ में आप उससे आगे जा रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि चौथाई छोड़ रखा है पुनर्वासन अनुदान में से और प्रतिकर में से। आप चाहते हैं कि २८ में ६ मनीलेंडर को मिले और २२ उसको मिले। हम यह कहते हैं कि २८ में २१ मनी लेंडर को मिले और ७ जमींदार को रहे । आप जमींदार के पास ज्यादा ही तो छुड़वा रहे हैं। यही तो आप चाहते हैं कि पुनर्वासन अनुदान बिलकुल न दिया जाय । सीधी सी बात यह है कि मार्क्स के लिखने के मुताबिक़ सबसे बुरे कैपिटलिज्म का पक्ष हमारा समाजवादी दल ले रहा है । पुनर्वासन अनुदान में से और प्रतिकर में से १/४ हम मक़रूज़ के लिये या मद्यून के लिये या मध्यवर्ती के लिये छोड़ना चाहते हैं। तो १९ से लेकर २८ गुणक हो जाता है। १ से लेकर २५० रुपये तक के मालगुजार का। इसका मतलब यह है कि ४,३/४ से लेकर ७ गुना उसकी पक्की आमदनी का जमींदार के लिये बच रहेगा। मैं समझता हूं कि यह काफ़ी है। पहले बिल जैसा था उसमें यह था कि पुनर्वासन

का गुणक और प्रतिकर का गुडक को तक़सीम किया जाय। इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के गुणक से तो उसका नतीजा बाज जगह यह होता था कि मल्टीपिल जो इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के मातहत आता था वह १३,१७,२३ और २५ आता था। तो छोटे जमींदार का क़र्ज़ा कुछ नहीं घटता था। इसलिये हमने उसमें से पुनर्वासन अनुदान का गुणक निकाल दिया और केवल प्रतिकर का गुणक रखा। इसमें कहीं तिहाई, कहीं चौथाई और कहीं पांचवां हिस्सा भी रह सकता है। तो इतना क़र्ज़ा घट जाने के बाद हमने यह किया है कि ३/४ तक वह ले सकता है और १/४ उसको बच जायगा। इसमें जमींदार के साथ बहुत रियायत है। लेकिन छोटे जमींदारों के सिल-सिले में एक बात और याद रखने लायक़ है और वह यह कि उन लोगों की सीर ज्यादा है बनिस्बत बड़े जमींदारों के जितनी सीर ज्यादा है उतना ही मुआवजा भी उनको कम मिलना है। मान लीजिये कि एक आदमी जमींदार था ५ एकड़ का और ५ एकड़ ही उसकी सीर खुदकाश्त हैं। तो वह घर के घर रह जायगा। उसे कुछ मुआविजा नहीं मिलेगा और उसका क़र्ज़ा सब बेबाक है। इसलिये उनको मुआविजा भी कम मिलता है या नहीं मिलता है और ऐसे लाखों केसेज हो सकते हैं। उनका क़र्ज़ा तो क़रीब-क़रीब माफ़ ही हो जायगा। इस-लिये जब पुनर्वासन लफ्ज हमारे बिल में आ गया तो आप उसपर झपट बैठे कि कुछ रुपया उनको पुनर्वासन के लिये मिल रहा था उसे भी सरकार छीन रही है और फिर पुनर्वासन अनुदान कैसे रहा प्रतिकर में से ले लेती। पुनर्वासन अनुदान और कम्पेन्सेशन में सब्सटेंशली कोई फ़र्क़ नहीं है। टेक्नीकल फर्क़ है। वह भी उसकी सम्पत्ति है और वह भी उसी की सम्पत्ति है। क़र्ज़ख्वाह को हक़ है कि चाहे जिसमें से वसूल करले। हमने प्रतिकर यकसां दिया ताकि सब के साथ ईक्वल ट्रीटमेंट हो, आर्टीकिल १३ और १४ संविधान के मातहत।

उसके बाद पुनर्वासन अनुदान देना यह हमारी रियायत है। अगर कुछ भी न देते तो कोई भी कानूनी शिकायत नहीं हो सकती थी। अतः उनके साथ यह रियायत की गयी। लेकिन कर्जख्वाहों के लिये मक़रूज या असामी की कोई भी संपत्ति हो, चाहे वह पुनर्वासन अनुदान ही क्यों न हो वैसी ही है इसलिये उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह पुनर्वासन अनुदान में से भी ले ले केवल शर्त यह रहेगी कि एक चौथाई उसके पास रहेगा दरअसल उनमें कोई सब्स्टेंशियल फर्क नहीं है। जितने छोटे जमींदार हैं उतनी ही ज्यादा वे खेती करते हैं। जो लोग खुदकाश्त या सीर नहीं करते हैं तो यकीन रखिये कि वे कोई दसरा रोजगार जरूर करते हैं, केवल लगान पर गुजर नहीं करते। अब अगर वे कोई दूसरा रोजगार करते हैं तो उन्हें प्रतिकर की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यह मुगालते की बात कही जाती है कि छोटे जमींदारों को बरबाद किया जाता है। जितने छोटे जमींदार हैं उतनी ही उनके पास सीर और खुदकाश्त ज्यादा है। इसलिये उनकी बरबादी का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दलीलें दी गयीं उन सब के आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति १ से शब्द "पुनर्वासन अनुदान" निकाल दिये जायं तथा खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (ङङ) बढ़ा दिया जाय—

"(ङङ) पुनर्वासन अनुदान का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है, जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२१
विपक्ष में—१८८।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के बाद विराम रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ व ५ से शब्द "और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है" निकाल दिये जायं।

श्री मन्, खंड २ के उपखंड (ङ) में यह बताया गया है कि दानोत्तर, आस्थान, प्रतिकर पुनर्वासन, अनुदान तथा धर्मोत्तर, यह सब क्या चीज है? और जहां तक इस विधेयक का संबंध है इनका क्या माने होगा? और उसी में यह दिया गया है कि जमींदार का अन्तरिम प्रतिकर इस विधेयक से संबंध रखते हुये प्रतिकर ही माना जायगा। इसके माने साफ यह होते हैं श्रीमन्, कि यदि आवश्यकता पड़े या यदि ऋणदाता यह चाहे तो किसी जमींदार के अन्तरिम प्रतिकर से भी कर्जा लिया जा सकता है। श्रीमन्, यहां पर जहां तक मेरा विचार है, सरकार से कुछ और अधिक मांगने की बात नहीं है, सरकार से कुछ जमींदारों के लिये छोड़ने, छोड़वा देने या दिलवा देने का प्रश्न नहीं है। केवल यहां पर प्रश्न इतना ही है कि अन्तरिम प्रतिकर है क्या। जब तक कि किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और अगर उसके प्रतिकर के निर्धारित होने में ९ महीने से अधिक समय लग जाय, तब सरकार ने यह अत्यन्त कृपा करके वादा किया है कि हम कुछ अन्तरिम प्रतिकर दे देंगे।

तो श्रीमन् प्रश्न यह है कि अन्तरिम प्रतिकर तो उसी समय जमींदार को मिलेगा जब कि ९ महीने तक उनका प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और जो ऋणदाता है उनको अपना कर्जा चुकाने का प्रश्न तो तभी उठ सकता है जब कि किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित हो जाय। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में भी यही दिया गया है कि जिस समय कम्पेंसेशन आफिसर किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित कर देगा उसके बाद ही कोई ऋणदाता उसके पास जाकर कह सकता है कि इसको यह प्रतिकर पूरा न दिया जाय। कम्पेंसेशन का सब रुपया उसे न दे दिया जाय क्योंकि वह उसका कर्जख्वाह है और उसके प्रतिकर से उसका रुपया मिलना चाहिये तो जब तक प्रतिकर न निर्धारित हो जाय तब तक ऋणदाता कम्पेंसेशन आफिसर के पास नहीं जा सकता और अंतरिम प्रतिकर इसलिये है कि यदि प्रतिकर किसी समय तक निर्धारित नहीं होता तो जमींदार को अधिक समय तक परेशानी न हो और जमींदारों के पास जरियेमाश नहीं है इसलिये सरकार ने वादा किया था कि अंतरिम प्रतिकर दे देंगे। तो श्रीमन् मेरी समझ में नहीं आता कि इस अंतरिम प्रतिकर से किस तरह से ऋणदाता को कर्ज अदा किया जायगा इसलिये कि तब तक तो प्रतिकर निर्धारित ही नहीं होगा और जब तक वह निर्धारित नहीं होता है तब तक ऋणदाता को देने का सवाल नहीं उठता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि मुझे यह रिडंडेंट सा लगता है। और यदि कोई और बात है तो मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री कुछ ज्यादा रोशनी डालेंगे ताकि हम विचार कर सकें।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का ध्यान जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा ३० की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है "धारा २९ के अधीन दिया गया अंतरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काटकर संधानित कर दिया जायगा।" तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिकर जमींदार को दिया जायगा उसी में से एक अंश अंतरिम प्रतिकर होगा। ऐसी अवस्था में नियम के अन्दर तो यह बात आ जाती है कि जब तक अन्तरिम रूप से प्रतिकर निर्धारित न हो यानी ९ महीने के भीतर ही अगर जमींदार साहबान दरख्वास्त करें तो कुछ अंतरिम प्रतिकर दिया जाय लेकिन अंतरिम प्रतिकर उसका भाग है। इसलिये कि किसी तरह से दोनों दो भिन्न रकमें नहीं हैं और यह किसी प्रकार मुनासिब नहीं है कि जो अन्तरिम प्रतिकर है

वह प्रतिकर की परिभाषा में न आये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और समझता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्तरिम कम्पेंसेशन का प्रश्न उठता है आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से जमींदार ऐसे हैं जिनके पास जरियेमाश कुछ भी नहीं रहेगा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी उनको नहीं मिलेगा। वह जमींदार ऐसे हैं जो दस हजार से ऊपर के मालगुजार हैं और बदकिस्मती से उनमें से एक मैं भी हूं और यदि यह कह दिया जाय कि उनके लिये अब इस दुनियां में कोई सहारा नहीं रहना चाहिये तब तो इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं हो सकाता, लेकिन जहां तक अंतरिम कम्पेन्सेशन का प्रश्न उठता है उस हद तक वही चीज उन लोगों के पास है जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। उनके लिये पुनर्वासन अनुदान वही है जो केवल कम्पेंन्सेशन का जो अंतरिम प्रतिकर उसे दे रहे हैं उसकी तादद भी अच्छी है। इस वजह से कि एक मालगुजारी की एक किश्त के बराबर आप उसको देंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां तक कम्पेंसेशन का संबंध है इस विधेयक का असर उस पर नहीं होना चाहिये बल्कि और आगे चल कर आप इण्टरिम कम्पेंसेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट को अटैचेबिल बना दीजिये या और जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं।

परन्तु सरकार के लिये इंटरिम कंपेंसेशन पर किसी तरह का आक्रमण करना अनुचित प्रतीत होता है। उन महाजनों के लिये सब से सरल उपाय यह होगा कि जैसे आप इंटरिम कम्पेन्सेशन जमींदार को देने के लिये तत्पर हुये उसी वक्त महाजन पहुंचता है और इंटरिम कम्पेन्सेशन अटैच हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं बचता है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं श्री सुरेश प्रकाश सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जो अमेंडमेंट उधर से आया है उसका विरोध करता हूं।

हमारे भाई ने अभी बताया है कि महाजनों के रुपये में हम को कमी नहीं मिलेगी। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि १९३७ में गवर्नमेंट ने जब पटौधन की तो लाखों किसानों का रुपया बड़े-बड़े जमींदारों के यहां था। उसमें सरकार ने पटौधन कर दिया और बेचारे किसानों के पास जो खेत थे वह भी निकल गये। जो चीज निकालने के लिये आप कहते हैं अगर उसको निकाल दिया जाय तो पूरा बिल सूना हो जायगा, बेकार हो जायगा। सरकार का समय व्यर्थ हो जायगा, मैं चाहूंगा कि इसको रखा जाय।

बड़े-बड़े जमींदारों का जिक्र आपने किया। ठाकुर साहब ने कहा कि हम दस हजार के मालगुजार हैं। उनके पास बड़ी-बड़ी सीर है अपने नाम रखा.....

अध्यक्ष— आप व्यक्तिगत बातें करने लगे।

श्री शिवनारायण—मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आन दि होल जमींदारी अबालिशन होने से पांच साल का जो पीरियड था उसमें लोगों ने अपना-अपना इंतजाम कर लिया। बाग-बगीचे, धन-दौलत सब सुरक्षित कर लिया। किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन गरीबों के लिये कोई बात नहीं सोची जा रही है। सरकार ने उन को मुआविजा देना तय किया। उन को काफी मुआविजा मिलेगा। कोई बोझा उनके कंधों पर नहीं रह जायगा।

उनका जो संशोधन है, वह व्यर्थ है। उसको निकाल देना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे माननीय सुरेश प्रकाश जी ने इस भवन के सामने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले जो उत्तर राजस्व मंत्री जी की तरफ से दिया गया कि अंतरिम प्रतिकर-प्रतिकर का अंश है, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अंश अवश्य है जो मुआविजे का, परन्तु वही उसका प्राण है। मैं यह मानता हूं कि सरकार जमींदारों का मुआविजा कम करने के लिये बिल लायी और जो-जो सरकार ने उनके लिये किया हम जितने जमींदार हैं उनके लिये आभारी हैं। अगर हमारी तरफ से किसी माननीय सदस्य ने वाद-विवाद में कटु आलोचना कर दी हो तो वह स्वाभाविक चीज है। अगर माननीय मंत्री जी को कोई कष्ट हुआ है जैसा कि स्वयं जाकर मैं कह चुका हूं कि ऐसी चीजें पैदा होने के बाद यह नहीं मान लेना चाहिये कि सब लोग इसी भाव को रखते हैं। हमारी चीज जा रही है। हम अधिक से अधिक चाहेंगे। यह स्वभाविक है। माननीय मंत्री जी को बुरा नहीं मानना चाहिये। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो जो चीज आप करने जा रहे हैं उससे वह लाभ नहीं होगा और उनको बहुत अधिक कष्ट होगा।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये भवन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अन्तरिम कम्पेंसेशन ही ऐसी चीज है जो सरकार इतनी बड़ी जायदाद के लेने के बाद नकद देने जा रही है और आपने उसी बिल में रख दिया कि पहले सरकार की जो मालगुजारी है या एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स है उसको काटने के बाद जो बचेगा वह अन्तरिम कम्पेन्सेशन में मिलेगा। पहले तो श्रीमन् एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स ही से शायद ही मुक्ति मिल सके, उसके बाद फिर अगर आप कर्जे को भी उसमें लगा देंगे तो यह जो रियाअत दे रहे हैं, कर्जे से जो थोड़ा बहुत फायदा बड़े और छोटे जमींदारों को होगा यह भी कुछ नहीं रहता। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करे कि अंतरिम कम्पेन्सेशन के ऊपर कितना भार है ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स का और रेवेन्यू का। तो इन सब को काटने के बाद यह होगा कि ९-१० महीने या साल दो साल या तीन साल भी कम्पेन्सेशन मिलने में लग सकते हैं और उसी के लिये यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है। इस बात के ऊपर सोचने की जरूरत है। विरोध करने के लिये यदि इस प्रकार शिव-नारायण जी खड़े हो जायं और इस प्रकार की स्पीच दें कि गरीबों का नुक्सान हो रहा है और तबाही आ रही है, तो मैं आपके जरिये उनको बतलाना चाहता हूं कि जिस चीज को वह पढ़ा न करें उसके संबंध में व्याख्यान देने के लिये खड़े न हुआ करें। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ व्यक्तिगत कह गया। मैं अपने भवन के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो मेम्बर साहब जिस चीज को पूरी तरह न समझें तो मैं अदब से कहना चाहता हूं कि उस पर बोलने से विशेष लाभ न होगा, उलटे उनका ही नुक्सान होता है। तो मैं आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस में बढ़ाने या कम करने का सवाल हो। सवाल यह है कि जो अन्तरिम कम्पेन्सेशन सरकार देने जा रही है वह उस तक पहुंच सके और सरकार का मकसद हासिल हो सके।

अगर आपने इस संशोधन को नहीं माना तो इसका नतीजा यह होगा कि जो थोड़े बहुत छोटे और बड़े जमींदारों को अन्तरिम कम्पेंसेशन मिलने की आशा है वह निराशा हो जायगी और फायदा उन्हीं महाजनों को होगा। उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एक-एक के चार-चार लिखाये, ५०० के ५,००० लिखाये। वह आज बढ़े, बढ़ते-बढ़ते, मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इतना बढ़ जायगा कि सरकार को एक कर्जे का बिल लाना पड़ेगा कि जो देहात में कर्जा फैला हुआ है और जिस तरह से गरीब किसानों से और गरीब रिआया से कर्जा वसूल करते हैं, उसको भी कम किया

जाय। तो इस प्रकार से तो उन्हीं महाजनों के साथ आप रियाअत करेंगे। एक तो उन्होंने सूद के जरिये प्रिंसिपल को पहले ही ले लिया। जो मूल धन था वह करीब-करीब ले चुके तो अगर अन्तरिम कम्पेंसेशन के दिलाने के लिये इसमें रख देंगे। उस बेचारे जमींदार को जो उसके बच्चों के खाने-पीने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है ९-१० महीने के लिये या दो साल के लिये वह बिल्कुल ही उनको नहीं मिलेगी और जमींदार की हालत वह हो जायेगी कि जिस तरह से आप शरणार्थियों को देखते हैं कि किस तरह से वह मारे-मारे फिरते हैं उसी तरह से वह बरबाद हो जायेंगे और उनके मकानात बरबाद हो जायेंगे। सरकार की यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इस प्रांत के प्रत्येक वर्ग का खयाल रखे। यहां के बाशिन्दे को एक मकान रहने को हो, रोटी खाने को हो और वह कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो मैं आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब ऐसी सुविधायें आप दे रहे हैं तो कम से कम इन चीजों पर गौर कीजिये और राजस्व मंत्री आज बैठे हुये हैं मैं उनसे कहूंगा कि इस बात का विचार छोड़ दीजिये कि अन्तरिम प्रतिकर में जो कुछ मिलेगा वह नकदी में मिलेगा। अगर उसमें कर्जा भी काटा जायगा तो वह कुछ भी नहीं मिल रहा है।

बांड के बारे में तो यहां भवन में राय दी जा चुकी है और बांड ४० साल में पूरे होंगे।

उसके लिये काफी समय लगेगा। मैं आप के जरिये कहना चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी काफी गौर करें और इसको ऐसा समझें कि जो अंतरिम कम्पेंसेशन सरकार दे रही है वह जमींदार को मिल जाय और उससे जमींदार को कुछ सहायता मिल जाय। यदि इसमें से आप कर्जे का मुजरा देने के लिये कहेंगे तो मैं श्रीमन् आप के द्वारा सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जमींदार को एक पैसा भी मिलने की कोई आशा दिखलाई नहीं पड़ती।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया उसके विरोध में केवल माननीय सभा सचिव जी और कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, श्रीमन्, कि शायद जो कुछ मैं आपके द्वारा सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता था या निवेदन करना चाहता था मैं उस तरह से नहीं कह सका जिससे वे समझ सकते कि मेरा तात्पर्य कहने का क्या था। यह शायद गलती मेरी है परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि माननीय बस्ती के सदस्य ने जो कहा कि सन् १९४७ या १९३७ में यह हुआ था और वह हुआ था, मैं फिर उसी बात को आपके द्वारा उनके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर यह प्रश्न है ही नहीं कि इस संशोधन से जमींदार को कुछ मिल जायगा। अन्तरिम प्रतिकर प्रतिकर का एक अंश है, इसको मानते हुये भी और माननीय सभासचिव जी का भाषण सुनने के बाद मैं तो यह समझता हूं कि या तो यहां पर अन्तरिम प्रतिकर का शब्द अनावश्यक है या मेरा संशोधन अनावश्यक है। आपके द्वारा उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि अभी जब माननीय मंत्री जी भाषण देंगे और उससे यदि मुझे यह पता चला कि मेरा संशोधन अनावश्यक है तो मैं अवश्य उसे वापस ले लूंगा। मैं यह समझता हूं कि अन्तरिम प्रतिकर शब्द यहां पर होना इसलिये अनावश्यक है कि प्रतिकर से कर्जा देने का प्रश्न उस वक्त तक नहीं उठता है जब तक कि प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और अन्तरिम प्रतिकर उसी वक्त मिलेगा जब कि प्रतिकर निर्धारित नहीं हो सकेगा। ऐसी दशा में मेरे विचार से अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि सरकार मुझे विश्वास दिला दे कि अन्तरिम प्रतिकर प्रतिकर का एक अंश है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा दिला दिया जाय, तो मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मौका तो आ सकता है कि अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा वसूल किया जाय। अगर ऐसा मौका कभी आता ही नहीं तो इस विधेयक में यह प्रोवाइड करने की या यह शब्द रखने की आवश्यकता ही नहीं होती। वैसे यह शब्द रखा जाता या न रखा जाता जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३० के अनुसार फिर भी अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा वसूल हो सकता था। जैसा मौर्य साहब ने पढ़ करके सुनाया दफा ३० साफ कहती है— "धारा २९ के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित कर दिया जायगा।" अगर यह शब्द यहां न रखे जाते तो भी अदालत को अख्तियार था कि अन्तरिम प्रतिकर में से दिला दे। सिर्फ स्पष्ट करने की ग़रज़ से यह शब्द सिलेक्ट कमेटी में रख दिये गये और यह सर्वसम्मति से रखे गये। अब यह कि अन्तरिम प्रतिकर तो दिया ही जायगा उस मध्यवर्ती का भरण-पोषण करने के लिये, उसकी गुज़र करने के लिये ताकि वह उतने दिन आसानी से काट सके जितने दिन पूरा प्रतिकर निर्धारित न हो, तो इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि यह बात बिल्कुल सही है। यह हो सकता है कि अन्तरिम प्रतिकर बहुत से लोगों के कर्ज में कट जाय और कुछ भी न मिले, लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि मान लो कि कोई एतराज जमींदार की तरफ से हो गया, गुजारेदार की तरफ से हो गया, कोई और मुक़दमा छिड़ गया और किसी कारण देर हो गयी, वैसे हमको उम्मीद तो यह है कि साल भर के अन्दर ही अधिकतर जमींदारों का प्रतिकर तय हो जायगा, कुछ का हो सकता है कि दिसम्बर तक ही तय हो जाय, लेकिन साल भर के अन्दर अन्दर तो ९०, ९५ फी सदी लोगों का तय हो जायगा, लेकिन फिर भी १०, ५ प्रतिशत ऐसे मामले रह सकते हैं जिनमें कार्यवाही डेढ़ साल, दो साल तक खिंच जाय। किन्हीं कारणों से जो हमारे अख्तियार के बाहर हैं। तो ऐसी सूरत में हर ९ महीने के बाद अगर मध्यवर्ती अपना अन्तरिम प्रतिकर लेता रहे और हम इसमें यह लिख दें कि अन्तरिम प्रतिकर से क़र्ज़ वसूल नहीं हो सकता तो फिर वह जो आखिरी प्रतिकर रहेगा वह कितना रह जायगा? तो इस प्रकार तो उसका क़र्जा मारा जा सकता है। तो उन्हीं सूरतों के लिये यह है जब कि प्रतिकर तय होने में देर हो जाय तो हमको मालगुजारी के बराबर ज्यादातर इलाक़े में और परमानेंट सेटिल्ड एरिया में, बनारस डिवीज़न में डेढ़ गुना मालगुज़ारी का देना होगा तो प्रतिकर का बहुत हिस्सा अन्तरिम प्रतिकर में चला जायगा। इस मजबूरी की वजह से हमने रखा वरना हमारी मंशा यह नहीं है कि किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। लेकिन जब दो वर्गों के अधिकारों का संतुलन करना पड़ता है तो आखिर कोई न कोई बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डेट रिडक्शन बिल हम ले आये इससे कुछ ऐसी धारणा लोगों की हो सकती है कि बड़ा भारी कर्जा जमींदारों पर है। दरअस्ल ऐसी बात नहीं है। क़र्जा आज कल लोगों पर बहुत कम है और मैं अगले किसी संशोधन में वे आंकड़े भी बतला दूंगा कि किस तरह से कर्ज़े की नालिशें सन् १९४२ से इधर साल व साल कम होती चली गयी हैं और हम क़रीब-क़रीब सभी लोग देहात के रहने वाले हैं, हाथ व हाथी क़र्जा जिसको कहते हैं, जो यों ही ले लिया करते हैं बिना किसी ज़मानत के या दस्तावेज़ के, इस तरह का क़र्जा तो कुछ है, बाक़ी वह जो रजिस्ट्री हुआ करती थी, बड़े-बड़े क़र्ज़े हुआ करते थे, रोज़ कुर्की पीछे फिरती थी लोगों के, वह सूरत खुशकिस्मती से हमारे सूबे में नहीं है, रजिस्ट्री वग़ैरह बहुत कम होती है। दो क़िस्म के कर्जों के मेरे पास आंकड़े हैं उससे ज़ाहिर हो जायगा कि कितना कम क़र्जा अब लोगों पर है। ३ करोड़ २० लाख रुपये के इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत बांड्स जारी किये गये, जिनमें से १ करोड़ ८३ लाख रुपये के बांड्स पेएबिल हो गये, केवल १ करोड़ ३७ लाख रुपये के बांड्स बाकी हैं जो इश्यू हुये हैं और अभी पेएबिल नहीं हुये हैं। तो एक तो यह क़र्जा १ करोड़ ३७ लाख का है इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत, जिसका फ़ायदा बहुत बड़े-बड़े

जमींदारों ने उठाने की कोशिश की थी और यह समझा जाता है कि बड़ा भारी क़र्जा है उन पर। कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने किसी वार्ड की तरफ़ से दूसरे वार्ड को जो क़र्जा दिया है वह कुल ८ लाख रुपये बैठता है। उसके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। तो इन दो आंकड़ों से हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि क़र्जा इधर वाक़ई बहुत कम है। यह तो केवल हम प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जमींदारी लोगों की ली गयी, पूरे दाम हम उनको दे नहीं सके, लिहाजा इन्साफ़न उन पर जो बोझ था वह भी उसी प्रतिशत से कम होना चाहिये, इसलिये हम कर रहे हैं वरना क़र्जे की कोई समस्या आज हमारे सूबे में है नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ड़) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के बाद विराम रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ व ५ से शब्द "और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर भी है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४

विपक्ष में—१५७।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज)के भाग (१) की पंक्ति ५ में शब्द "व्यक्ति" के बाद शब्द "भी है" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के शब्द "भी हैं" निकाल दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन शाब्दिक है और केवल वाक्य रचना को सरल बनाने के लिये है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं एक निवेदन यह करना आवश्यक समझता हूं क्योंकि मैं यह देखता हूं कि विधेयक में जो अधिकतर संशोधन होते हैं वे ५० फी सदी शाब्दिक होते हैं जो वाक्य रचना को सरल बनाने के लिये और प्रूफ की ग़लतियों की वजह से होते हैं। तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक दूसरे विधेयक में मैंने एक बार गिन कर देखा, तो उसमें करीब-करीब ३० अशुद्धियां प्रूफ में मिलीं। वाक्य रचना के सम्बन्ध में भी मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। वह यह है कि एक समय था जब कि विधेयकों में एसी भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक समझा जाता हो जब कि कानूनी वकील उसका इण्टर प्रिटेशन करने में काफी समय और काफी खर्चा करना आवश्यक समझते हों। लेकिन अब तो हमारी मांग यह है कि भाषा शुद्ध सरल, और ग्राह्य होनी चाहिए। साथ ही मैं कभी-कभी यह भी देखता हूं कि विराम और अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है वह सही तरीके पर नहीं किया जाता। एक और निवेदन है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कभी-कभी गलत किया जाता है जैसा मैंने एक बार कार्यवाही में पढ़ा कि स्पीकर महोदय के लिये "अधिष्ठाता" लिखा गया जब कि प्रायः शब्द जो माना गया है वह "अध्यक्ष" माना गया है। अधिष्ठाता उचित भी नहीं है। जिसके हाथ में 'एक्जिक्यूटिव फंक्शन' होता है उसको अधिष्ठाता कहा जाता है। यही मुझे निवेदन करना है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है यदि उससे रचना में कोई विशेषता होती, कोई सौन्दर्य बढ़ जाता तो इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन संशोधन करने वाले माननीय सदस्य ने इस संशोधन को उपस्थित करते समय जो बहुत सी बातें कहीं वे और जगह तो लागू हो

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

सकती हैं लेकिन यहां तो प्रश्न यह है कि "व्यक्ति" के बाद "भी" शब्द रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह जिस प्रकार है वही ठीक है। श्रीमान् देखें कि व्यक्ति के बाद जितना अंश है वह सारा व्यक्ति को क्वालिफाई करता है। "व्यक्ति का जिनके इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं" अगर यह क्वालिफाइंग वर्ड नहीं होते तो "व्यक्ति" शब्द का इतना महत्त्व नहीं रहता और इसके अलावा "भी" को उठा कर पहले रख दें तो उसके कानूनी इंटरप्रिटेशन में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो "व्यक्ति" के बाद जो शब्द आये हैं वे सभी "व्यक्ति" को क्वालिफाई करते हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि उनको व्यक्ति के बाद रक्खा जाय। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—ऐसे जो मंत्री जी ने कहा उसको मैंने ध्यान से सुना। मेरा ख्याल यह है कि लीगल इण्टर प्रिटेशन का इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता लेकिन मेरी दृष्टि में तो यही ठीक था जो मैंने अभी बतलाया था। मैं तो यह समझता हूं कि रचना वाक्यों की सही और सरल होनी चाहिये, जिसको सब अच्छी तरह से समझ सकें और सरलता से समझ सकें। अगर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति ८ में शब्द 'पट्टेदार' के बाद का अल्पविराम का चिह्न निकाल दिया जाय और पंक्ति ९ के शब्द 'इस्तमरारी या दवामी' के स्थान पर शब्द 'दवामी या इस्तमरारी' रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, यहां पर पट्टेदार के बाद अल्प विराम का चिन्ह रखने से यह अर्थ निकलता है कि पट्टेदार और इस्तमरारी और दवामी भिन्न चीज हैं। असल में इसका अर्थ यह है कि इस्तमरारी या दवामी यह पट्टेदार का विशेषण है। इस वजह से यह अल्पविराम यहां से हटना चाहिये नहीं तो इसका अर्थ दूसरा-दूसरा निकलेगा। तीसरी पंक्ति में शब्द क्रम जो है दवामी या इस्तमरारी वह पंक्ति ९ में बदल दिया गया है। वही पहला क्रम होना चाहिये था जो तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो संशोधन अभी पेश किया गया है वह मुनासिब मालूम होता है और मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति ८ में शब्द 'पट्टेदार' के बाद का अर्द्ध विराम का चिह्न निकाल दिया जाय और पंक्ति ९ के शब्द 'इस्तमरारी या दवामी' के स्थान पर शब्द 'दवामी या इस्तमरारी' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधा मोहन सिंह—मेरा संशोधन यह है कि खंड २ के उपखंड (ञञ) की पंक्ति २ के शब्द "के बन्धक द्वारा" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "सम्पत्ति" के बाद शब्द "के बन्धक" बढ़ा दिये जायं।

इसमें कोई विशेष बात नहीं है यह इस सेक्शन को अच्छा करने के लिये पेश किया गया। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ञञ) की पंक्ति २ के शब्द "के बन्धक द्वारा" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "सम्पत्ति" के बाद शब्द "के बन्धक" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

डिक्री देते समय ऋण का कम करना।

३–(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।

ऐक्ट १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई०, को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgaged deed) में ऋण के लिए उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्रों के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों

के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और—

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा ।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्न-संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "भी" के पश्चात् शब्द "एक या एक से अधिक" बढ़ा दिये जायं तथा शब्द "सुरक्षित" से उपखंड के अन्त तक के सब शब्दों के स्थान पर शब्द "ऋणों के संरक्षण के हेतु लेख्य में अन्य सम्पत्ति के साथ या उस के बगैर, जमींदारी आड़ की गई हो तो ऐसे सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी वाद या वाद संबंधी व्यवहार (प्रोसीडिंग) के होने पर जिस में अपील और इजराय भी शामिल होंगे, न्यायालय देय धनराशि के अवधारित होने पर किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर नीचे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में मेरा संशोधन का आशय यह है कि जिस समय इस अधिनियम के अनुसार कर्जे के अनुसार कर्जे कम किये जायं तो यह हो सकता है कि किसी कर्जदार के ऊपर एक कर्जा हो और यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर एक से अधिक कर्जे हों तो जिस समय इस अधिनियम के अनुसार कर्जे कम करने का मामला आये उस समय इन सभी कर्जों पर विचार किया जाय जो कि किसी ऋणी को देने हों और ऐसा ही हो जैसा कि इन्सालवेन्सी के मामले में होता है। इससे अव्वल तो यह लाभ होगा कि बार-बार की मुकदमेंबाजी से छुटकारा हो जायगा और जितना धन किसी को देना है उस में से सभी कर्जदारों को उन के भाग और भाग्य के अनुसार भुगतान मिल जायगा ।

श्रीमान् जमींदारियों पर जो कर्जा लिया गया है उनकी सूरतें भिन्न-भिन्न हैं। जो कर्ज जमींदारियों पर हैं उस के साथ कहीं दूसरी जायदादें भी शामिल हैं कहीं ये मुख्तलिफ डिक्रीज के रूप में हैं। कहीं तरमीमशुदा डिक्री के रूप में हैं यानी इन्कमबर्ड

एस्टेट् ऐक्ट या एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट के अनुसार भी हैं, और कहीं यह कर्जे इजराय डिग्री के रूप में, कहीं अपील के रूप में हैं। इसलिये आवश्यक नहीं है कि कर्जे को कम करने के लिये कर्जदार अपनी ओर से अर्जी दें, हो सकता है कि कोई मामला अदालत के सामने हो और वहां फैसला हो जाय और उसमें यह भी फैसला हो सकता है कि इतनी अदायगी की जाय और उस की जितनी भी रकम है उसका तमाम भुगतान एक ही कर्जे में हो जाय और एक ही कर्जदार को भुगतान हो और बाकी का मामला फिर चले और कर्जदारों की ओर से फिर अदालत में अर्जी दी जाय या कर्जा देने वाला अदालत में मामला ले जाय। इस तरह से तो मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। इसलिये मेरा आशय यह है कि जिस समय यह ऋण कम किये जायं उस समय उस वक्त तक जितना भी ऋण है उन सब पर एक साथ विचार कर लिया जाय जैसा कि दिवालिया होने पर उस की जायदाद का हिसाब किया जाता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शब्दों का कोई हेरफेर इस में करना आवश्यक हो और माननीय मंत्री जी इस में कुछ बदलने का इरादा रखते हों तो इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपना आशय मात्र प्रकट कर दिया।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, भाव तो माननीय सदस्य के बहुत नेक हैं लेकिन उन पर अमल करने में कठिनाइयां बहुत हैं। इस लिये जिस बात को वह रखना चाहते हैं हमने उसे बहुत सोच-विचार के बाद भी इस विधेयक में नहीं रखा है। आपका मंशा मोटा सा है कि जितने भी कर्जेजात उस पर हैं वे सब एक पूल में आकर इकट्ठा हो जावें और जैसा कि इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में या इनसाल्वेंसी ऐक्ट में होता है जितनी भी उस पर देय धनराशि हो उसके हिसाब के मुताबिक सबको हिस्सारसदी कर्जा उससे वसूल करा दिया जाय। लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि इसमें वर्षों लग जाते हैं, बहुत वक्त खराब होता है और मुकद्दमेंबाजी होती है। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के मुकदमें में मैं समझता हूं शायद १० साल तक में भी खत्म नहीं हुये हैं और अभी तक उलझे हुये हैं। इन्साल्वेंसी के मुकद्दमें भी सालों तक चलते हैं। हम यह चाहते हैं कि यह काम जल्द खत्म हो जाय वर्ना जितना कर्जा लेना देना है उससे ज्यादा तो मेहन्ताने कोर्ट के टिकटों वगैरह में खर्च हो जायगा। जाब्ता दीवानी में दफा ७२ या ७४ है जिसके मातहत जिस आदमी की डिक्री हो जाय वह जजमेंट डैटर के असेट्स को यानी प्रतिकर और अनुदान को कुर्क कराता जाय। यह जिम्मेदारी डिक्रीहोल्डर की है। कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं कि सबको नोटिस दे और गजट करावे और सब इकट्ठा हो और सबको हिस्सा रसदी की जाय। उसमें देर लगती है। एवरीबाडी इज टू टेक हिज चांस। हरएक आदमी अपने मौके के मुताबिक उसमें से ले भागना चाहे तो ले भाग सकता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह नहीं कि मुझे उनके आशय से सहानुभूति नहीं है, बल्कि इस ख्याल से कि उसमें दोनों फरीकों का नुक्सान ज्यादा होता है और देर ज्यादा लगती है।

श्री रमेश वर्मा—मजबूरी है, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "मात्र" के स्थान पर शब्द "ही" रखा जाय।

श्रीमान् जी, यहां पर आस्थान के पहले शब्द "केवल" का प्रयोग हुआ है। केवल और मात्र दोनों समान अर्थ रखते हैं और एक ही शब्द से काम चल सकता है। लेकिन केवल शब्द में वह फोर्स नहीं है जो अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव लफ्ज में है। तो वह फोर्स लाने के लिये मैंने "मात्र" शब्द ही रख दिया है। अब केवल ही से वह फोर्स आजाता है जो अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव शब्द में है। मैं समझता हूं कि इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "मात्र" के स्थान पर शब्द "ही" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) (१) की पंक्ति ३ में एक संशोधन दिया था उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देना चाहता हूं जो कि मैंने सचिव जी को दे दी है। वह इस प्रकार है---

खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) (१) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "किया गया है" के बाद "या अन्य दस्तावेज या डिग्री से साबित हो" बढ़ा दिये जायं।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जो खंड में यह लिखा हुआ है कि बंधक पत्र में अगर बंधककर्ताओं की लाइबिलिटी निर्दिष्ट है तो उसके मुताबिक उसकी लाइबिलिटी समझी जायगी और यदि ऐसा नहीं है तो जो सम्पत्ति मारगेज की गयी है उसमें बंधककर्ता का जैसा हिस्सा है उसके अनुसार उसकी लाइबिलिटी होगी। मेरा मतलब यह था कि बहुत से मारगेजेज ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गये और उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी पैदा हो गयीं जिसकी वजह से बंधककर्ताओं की लाइबिलिटीज आगे चलकर बहुत से दस्तावेजों में, पार्टीशन डीडों में, किसी एग्रीमेंट में, फेमिली सैटिलमेंट में या किसी डिग्री में डिफाइंड है तो वह चीज यहां छोड़ दी जाती है बल्कि अगर मारगेज डीड में कोई लाइबिलिटी डिफाइंड नहीं है लेकिन बाद को फैमिली सैटिलमेंट में वह डिफाइंड हुई तो यह जरूरी है कि उसके अनुसार उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिये। इस कारण यह उचित समझा गया कि इसका बढ़ाया जाना मेरी समझ में आवश्यक है। हम उसका खयाल न करें और साथ ही साथ इस बात पर आ जायं कि जो मारगेज प्राप्रटी में जो हिस्सा होगा उसी के अनुसार लाइबिलिटी होगी तो ऐसी दशा में ऐसी चीज हो जाती है कि हालांकि उनकी डिग्री हो चुकी है, ऐग्रीमेंट हो चुका है, पार्टीशन डीड हो चुकी है, उस पर भी हम यह रखना चाहते हैं कि फिर भी उसके अनुसार लाइबिलिटी नहीं होगी। इस सूरत में इसका बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस पर एक एतराज जरूर हो सकता है और वह ऐतराज यह हो सकता है कि उनके पार्टीसन डीड या फैमिली सेटिलमेंट या उनकी डिग्री में अगर मारगेजी पार्टी नहीं है तो मारगेजी किसी ऐसे ऐग्रीमेंट, पार्टीशन डीड अथवा डिग्री से पाबन्द न होगा। चूंकि उस पर लागू नहीं होगा इसलिये उसका लिहाज न किया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मारगेजी का प्रश्न है, मारगेजी के जो हकूक हैं वे खंड ६ और खंड ८ में सुरक्षित रखे गये हैं। और उनके सुरक्षित रखने की वजह से मेरे संशोधन का कोई असर मारगेजी पर नहीं पड़ता है। इसलिये मैं खंड ६ और ८ पढ़कर सुना देना चाहता हूं ताकि मेरा मतलब स्पष्ट हो जाय। खंड ६ इस प्रकार है---

मेरा केस (क) में नहीं आता है बल्कि (ख) में आता है।

"(ख) उक्त धारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो।"

तो मारगेजी के हक में जो डिग्री दी जाती है वह एग्रीगेट एमाउन्ट पर दी जाती है। इस लिये जहां तक उसका इंटरेस्ट है वह इसमें सेफ गार्डेड है। इसी तरह से दफा ८ में भी उपखंड (ख) में दिया हुआ है कि उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसके लिये बहुत समय लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—जी हां।

अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं। २ बज कर २० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है उसके अनुसार किसी दस्तावेज में किसी इकरारनामे में, फेमिली सेटिलमेंट में या पार्टीशन डीड में अगर मारगेजर्स की लाइबिलिटी डिफाइण्ड है तो उसी के अनुसार उनकी लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिये थी तो मैंने यह कहा था कि इस में हो सकता है कि मारगेजी पार्टी न हो और यह ऐतराज हो कि चूंकि मारगेजी पार्टी नहीं है इसलिये इस चीज का इसमें लागू होना उचित नहीं है मारगेजी को इससे हानि पहुंचेगी। तो मैंने उसके संबंध में यह कहा था कि जहां तक कि मारगेजी के हकूक हैं वह सुरक्षित हैं जैसा कि खंड ६ और खंड ८ के पढ़ने से मालूम होता है। खंड ६ मैंने पढ़ा था और खंड ८ भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस तरह पर है—

"किसी अनुबंध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधी में (contract, agreement, document or law for the time being in force) कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बंधक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना बंधक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।"

तो खंड ८ में भी जो जायदाद कि रेहन की गई थीं उस पूरे जायदाद का कम्पेन्सेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट होता है उसके लिये मारगेजी को हक दिया गया है कि वह उससे अपने कर्ज का तीन चौथाई तक वसूल कर सके। तो ऐसी हालत में मारगेजी पार्टी न होते हुये भी उसका हक सुरक्षित है और ज्वाइंट लाइबिलिटी मारगेजर्स की इस खंड में रखी गयी है। तो यह ऐतराज तो बिलकुल बेमानी होगा और इस एतराज की वजह से मेरा संशोधन अनुचित नहीं समझा जा सकता। एक बात यह जरूर है कि यह कहा जा सकता है कि अगर मारगेजी के हक में मजमूई डिग्री होनी है ऐग्रीगेट एमाउण्ट की डिग्री होनी है तो फिर इस संशोधन से क्या फायदा। मैं यह कहता हूं कि खंड ३ में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वह अगर कायम रहता है यानी यह कि मारगेजर्स के दरमियान में अगर लायबीलिटी फिक्स करते हैं तो उस प्रोसीजर के रहते हुये यह चीज जरूरी हो जाती है ताकि मारगेजर्स के दरमियान में कोई झगड़ा न पैदा हो। उनकी लायबिलिटी तो असल में दूसरी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया पार्टीशन डीड में है, फैमिली सेटिलमेंट में है, एग्रीमेंट में है तो उसका हम ध्यान न करें और जैसा कि इसमें दिया गया है उसी के अनुसार हम उनकी लायबिलिटी इसमें फिक्स कर दें तो उनके लिये अनुचित होगा और आपस में बहुत ही झगड़ा पैदा हो सकता है। इसलिये इसकी जरूरत है। अगर खंड ३ का उपखंड २ भाग (ख) निकाल दिया जाय तब तो मेरे संशोधन

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके रहते हुये जरूरी है कि यह संशोधन इसमें रखा जाय ताकि मारगेजर्स के दरमियान कोई झगड़ा बाद को न पैदा हो। यह इसलिये भी जरूरी है कि अनुसूची १ के खंड २ भाग (ख) में यह लिखा हुआ है कि "यदि उक्त बंधक-कर्ता या वाद ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बंधककर्ता या वाद ऋणी की विभाजित धनराशि से है" तो जो फारमूला हम रखते हैं उसमें एक-एक मारगेजर का अलग-अलग रख दिया है। तो मेरा संशोधन अगर इसमें नहीं आता है तो नतीजा यह होता है कि इस फारमूला के मुताबिक कार्यवाही होगी। लेकिन वह मार्गेजर के दरमियान असल में झगड़े की जड़ बाकी रह जायगी। और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया अगर हम खंड ३ का उपखंड २, भाग (ख) निकाल दें तो वह भी एक असंगत सी चीज हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया अनुसूची एक में जिस तरह से फारमूला दिया हुआ है उसको भी संशोधित करें तब जा कर बात ठीक होती है। लेकिन ऐसा संशोधन कोई भवन के सामने है नहीं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि मेरा संशोधन आवश्यक है और राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है उस संशोधन के लिये माननीय सदस्य ने स्वयं अपने ही भाषण में एक बात बतायी। उससे स्पष्ट हो गया कि उन का संशोधन अनावश्यक है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कह दिया कि जिस प्रकार का संशोधन वह ला रहे हैं उस प्रकार के संशोधन से जो डिग्री बनेगी वह मारगेजी पर बाइंडिंग नहीं होगी। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में स्वयं प्रकट किया। ऐसी दशा में यह संशोधन अनावश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ३ की उपधारा २ (ख) के उपखंड एक में जो बातें बतायी गयी है मारगेज की डिग्री में अगर दो मारगेजर हैं तो उनके दरमियान अगर मारगेज डीड में आपसी तौर पर उनके शेयर का उसमें कोई डिस्क्रीशन है तो उसके लिये मारगेजी भी बाउंड हो सकता है और अगर उनके शेयर का मारगेज डीड में जिक्र नहीं है तो उनकी जायदाद के मुताबिक लायबिलिटी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। यह तो ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में जो उसूल दिया गया है उसके अधीन यह बात है कि अगर लायबिलिटी मारगेज डीड में अलग-अलग मारगेजर्स की नहीं है तो फिर जो जायदाद मारगेजर्स की है उस जायदाद के हिसाब से उस लायबिलिटी का डिसीजन होगा। तो यह दोनों सूरतें तो ऐसी हैं जो मारगेजी के लिये असर रखती हैं, उसके लिये बाइंडिंग हैं। लेकिन इसके अलावा माननीय सदस्य के संशोधन को अगर माना जाय कि कोई नई दस्तावेज या कोई डिक्री जो मारगेजर्स के दरमियान में इंटरसी है वह बढ़ा दी जाय तो फिर उनके दरमियान इंटरसी दस्तावेज या डिक्री या इंटरसी फैमिली सेटिलमेंट की कोई बाइंडिंग मारगेजी पर होती नहीं। तो ऐसी सूरत में डिक्री में ऐसे किसी इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान का कोई इस किस्म का मुआहिदा जो हुआ हो उसका मारगेजी के खिलाफ कोई असर डिक्री में नहीं होता और यह मारगेजी के खिलाफ जो डिक्री होती है उसमें इंटरसी का कोई असर भी नहीं होता। यानी मारगेजी के हक में जो डिग्री हुई उसमें मारगेज डीड में दी हुई लायबिलिटी या प्राप्रटी की लायबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है उसको छोड़ करके बाकी अगर मारगेजर्स के दरमियान में इंटरसी अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो अपनी जगह पर है। किसी और मौके पर इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान उनकी आपस की डिक्री या मुआहिदा वह अलग चीज है, उसका मारगेजी से कोई संबंध नहीं है। इसी लिये उन्होंने स्वयं एतराज का जिक्र किया कि मारगेजी पर वह बाइंडिंग नहीं होगी। तो इसलिये जब यह चीज अपनी जगह पर है तो यह रिडंडेंट है और इसका कोई मौका नहीं है और उसको बढ़ाना अनावश्यक है।

दूसरी बात जो उन्होंने यह कही कि ज्वाइंट लायबिलिटी है और ऐग्रीगेट सम की डिक्री होगी, यह सही है। लेकिन ऐग्रीगेट सम की जो डिक्री होगी वह तो उसमें यह कहा गया है, जो धारा ६ की उपधारा १ के "ख" में जो बताया गया कि एग्रीगेट सम की

जो डिग्री होगी वह तो डिक्रीड ऐग्रीगेट सम के बराबर होगी। लेकिन जहां तक मारगेजर्स की लायबिलिटी का संबंध है वह डिक्री में साफ दर्ज हो जायगा कि कितनी लायबिलिटी है। उनके संशोधन के मुताबिक तो फिर यह हो सकता है कि इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान अगर किसी दसरे मुआहिदे के जरिये से कोई लायबिलिटी उससे मुख्तलिफ हो गयी हो जो कानूनन होनी चाहिये, तो फिर उस तरह से दर्ज की जाय तो इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट फिर इन दस्तावेज, इन फ़ैमिली सेटिलमेंट और इन सारी बातों में पड़े, सब के लिये शहादतें ले और फिर उनको इस डिक्री में पार्ट आफ़ डिक्री बनावे जिसका मारगेजी से कोई संबंध नहीं है तो लायबिलिटी का जहां तक संबंध है वह ऐग्रीगेट सम की डिक्री होगी । वह तो उनको उसमें अलग-अलग दिखाया जावे। इसलिये उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है और जो उसके संबंध में बातें कही हैं वह इसमें पैदा होती नहीं हैं ।

उन्होंने धारा ६ के उपखंड २ का भी हवाला दिया । मगर उसमें मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर मारगेज्ड प्रापर्टी दो या दो से ज्यादा है तो उसके लिये अलग अलग प्रापर्टी पर कितनी लायबिलिटी होगी यह उसके जरिये से साफ किया गया है । लेकिन अगर मारगेजर दो हैं और प्रापर्टी, स्टेट भिन्न नहीं है तब ऐसी सूरत में वह अपलाई नहीं करता। मार्गेजर्स भिन्न भिन्न हैं और स्टेट एक हैं तब अपनी जगह पर जो विधेयक में जिस प्रकार का मसला रखा गया है वह सही है । और प्रापर्टी भी भिन्न है और मारगेजर भी भिन्न हैं तब तो मारगेजर और मारगेज्ड प्रापर्टी दोनों के अनुसार अलग-अलग लायबिलिटी का होना जरूरी हो जाता है लेकिन जो संशोधन उन्होंने उपस्थित किया है उसमें सूरत यह है कि मारगेजर्स भिन्न हैं, स्टेट एक है इसलिये मर्गेजर्स की अलग-अलग लायबिलिटी उसमें दिखाना जरूरी है और इसी सूरत में दिखाई जा सकती है कि मारगेजर्स के दर्मियान में दस्तावेज के जरिये लायबिलिटी जाहिर हो और अगर न हो तो प्रापर्टी की वैल्यू के हिसाब से जाहिर हो, तीसरी सूरत उसमें नहीं होनी चाहिये कि इंटरसी उसमें कोई मुआहिदा हुआ हो। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और साथ ही साथ यह आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर वे निगाह डालेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी के संशोधन पर माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर दिया गया वह संतोषप्रद नहीं है । अगर हम ध्यानपूर्वक माननीय वर्मा जी के संशोधन को देखें तो जिस प्रकार का उसका इंटरप्रिटेशन माननीय मंत्री जी की तरफ से किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं माननीय वर्मा जी का संशोधन तो केवल उपखंड दो के पहले खंड को और स्पष्ट कर देता है । मान लिया जाय कहीं पर कोई फैसला हो जिसके अनुसार बंधक पत्र में ऋण के उत्तरदायित्व को दो या दो से अधिक बन्धककर्ताओं में बांट दिया जाय तो ऐसी स्थिति में क्या होगा । इसको माननीय वर्मा जी ने स्पष्ट किया है । अगर ऐसा न रखा जाय तो फिर (क) के अनुसार एक ही बन्धककर्ता कौन होगा इसकी परिभाषा करना मुश्किल होगा । यदि एक बन्धककर्ता की परिभाषा हो भी गई तो इक्वेटी के हिसाब से उचित नहीं होगा । सब को समान अवसर देने के लिये इक्वेटी के हिसाब से एक ही बन्धककर्ता पर सारा बोझ न पड़े ऐसा कर दिया गया है कि एक से अधिक बन्धककर्ताओं पर इसका बोझ पड़ता है । यह जो भार है ऋण का उसको बांटने का प्रश्न है । फैसला संशोधन के जरिये नहीं होता है, फैसला तो किसी फैसले के अनुसा[illegible] जिसका इस विधेयक में जिक्र नहीं है, जिसका इस संशोधन में जिक्र नहीं है—अथारिटी के [illegible]ये होता है । उसी के लिये संशोधन है और वर्मा जी ने काफी स्पष्ट कर दिया है । मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार चाहती है कि रिलीफ मिले तो यह आवश्यक है कि यह संश[illegible]न माना जाय ताकि एक ही बन्धककर्ता पर बोझ न पड़े अगर ऋण का दायित्व एक से [illegible]धिक बन्धककर्ताओं पर किसी प्रकार साबित हो जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन में पेश हुआ है उसके संबंध में मैंने दोनों तरफ़ की तक़रीरों को सुना है लेकिन जहां तक कि संशोधन है मैं उससे इत्तिफ़ाक़ नहीं रखता और मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके दो कारण हैं जो कि स्पष्ट मुझे दिखाई देते हैं । यहां पर जो बिल है वह जिक्र करता है केवल सीक्योर्ड डेट का और सीक्योर्ड डेट के मुताल्लिक़ जो मारगेज डीड है, उसके अन्दर जो ट्रांजेक्शन है और उसमें जिस तरह से वह मारगेजर्स की लायबिलिटी है उसका जिक्र इस बिल में आ चूका है और यही इस बिल का मक़सद है कि उनकी लायबिलिटी को उसी तरह अलग कर दिया जाय परन्तु जहां तक कि इस अमेंडमेंट का ताल्लुक़ है वह चाहते हैं कि इस मार्गेज डीड के अलावा अगर कोई इसी तरह का ट्रांजेक्शन बिटवीन मारगेजर्स हुआ हो और उस मारगेज डीड के ऊपर कोई दूसरा असर पैदा होता हो तो उसको भी उस वक्त कांसिडरेशन में लाया जाना चाहिये जिस वक्त कि इस कानून के मातहत उनकी लायबिलिटीज़ का ख़याल किया जा रहा हो । मैं समझता हूं कि अगर यह किया जाता है तो एक ओर से सरकार को कोर्ट फ़ीस की हानि होती है क्योंकि अगर वह आपस में जो ट्रांजेक्शन है उसको इनफ़ोर्स करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और उनको कोर्ट फ़ी देनी पड़ेगी। इसलिये अगर इसको एक ही साथ कर दिया जायगा तो सरकार को कोर्ट फ़ीस की हानि होती है । दूसरा प्वाइंट जो मुझे नजर आता है वह यह है कि ऐसे ट्रान्जेक्शन को जो कि सबसीडियरी हैं उस मारगेज डीड के मुताल्लिक़ जिसके मुताल्लिक यह बिल लाया जा रहा है उसको एक ही साथ कर दिया जाय, यह मैं समझता हूं कि अनुचित है क्योंकि उसका ऐप्रीसिएशन करने के लिये कोर्ट के लिये एक सेपरेट सूट की जरूरत है क्योंकि मुमकिन है कि बाद के जो ट्रान्जेक्शन हों वे क़ानून में जायज़ हों या न हों, गवाहियां ठीक तरह से हों या न हों, उसका एग्ज़ीक्यूशन क़ानून की नजरों में सही हो या ग़लत हो। इन सब बातों से मैं समझता हूं कि उसका उसी के साथ ख़याल कर दिया जाना यह बिलकुल ग़लत बात होगी। इन्हीं दो प्वाइंट्स पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य इस संशोधन को थ्रो आउट कर देंगे ।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय भवन के सामने उपस्थित है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं । इस संशोधन के ज़रिये से यह कोशिश की जा रही है कि अदालत में मारगेजर को मारगेजी को, जिस किसी को वहां पर मतलब हो, उसको अपने हक़ को सिद्ध करने का अवसर दिया जाय । अभी तक बिल के अन्दर जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसका तरीक़ा बताया गया है । या तो उस दस्तावेज़ के अन्दर यह निहित हो कि अगर दो मारगेजी हैं तो उनका हिस्सा किस प्रकार है इसको अदालत को मानना पड़ेगा । अगर दस्तावेज़ में नहीं है तो जो प्रापर्टी बन्धक रखी गयी है तो उस प्रापर्टी में जिस क़दर उनका हिस्सा है वह मान लिया जाय । यह व्यवस्था इस बिल के अन्दर की गयी है । अब अगर इसमें हम यह अवसर देते हैं कि अगर न लिखा हो तो उसके लिये सबूत देने का उसको अवसर मिले तो व्यर्थ की मुक़दमेंबाज़ी बढ़ जायगी और कोई लाभ होने का नहीं है । अब ट्रान्सफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट देखें तो उसमें भी दिया हुआ है कि या तो जो हिस्सा दस्तावेज़ के अन्दर निर्धारित है उसको अदालत मानती है और अगर निर्धारित नहीं रहता है तो जो प्रापर्टी मारगेज्ड है उसके अन्दर जो उनका हिस्सा होता है वह मान लिया जाता है । एवीडेंस ऐक्ट को आप देखें तो वहां भी यह मिलेगा कि जो कंट्रेक्ट लिखित हो गया है वहां पर ओरल एवीडेन्स के लिये मुमानियत की गयी है और इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि अवसर मिले हर एक वादी को कि वह सिद्ध कर सके कि वास्तव में उसका हिस्सा क्या है । मैं समझता हूं कि यह हानिकारक होगा, व्यर्थ की मुक़दमेबाज़ी बढ़ेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस लें । अभी तक जो व्यवस्था बिल के अन्दर है वह बहुत उचित है और उसी के अनुसार काम करने में उनका भी कल्याण है । यही मेरा निवेदन है ।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विरुद्ध जो बातें कही गयीं मैं उनको उचित नहीं समझता हूं। एक बात तो यह कही जाती है कि मारगेज डीड के पश्चात जो ट्रान्जेक्शन्स होते हैं उनमें हमको नहीं पड़ना चाहिये, इस तरीक़े से सरकार की हानि होगी, उसको कोर्ट फ़ीस नहीं मिलेगी। और आपस में झगड़े बढ़ेंगे। मैं उसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति होगी कि सूट्स बढ़ें। मेरी समझ में सरकार की यह नीति है नहीं। अगर कोई मसला पेश है तो उस वक्त उस समय यह अवश्यक है कि उस मसले के संबंध में जो बातें हों उसको कोर्ट तय कर दे तो भिन्न प्रकार के सूट्स न लाने पड़ें।

मैं यह कहता हूं कि जब इस विधेयक में यह चीज है कि एग्रीगेट अमाउंट की डिग्री होगी तो फिर उस चीज को रखना ही नहीं चाहिये था कि कोमारगेजीज के दरमियान इंटर लायबिलिटी क्या होगी वह यहां पर डिटरमिन की जाय। अगर डिटरमिन करते हैं तो उनके दरमियान में एग्रीमेंट है या प्रिजम्पशन डीड है। क्या वजह है कि इसको शट आउट किया जाय। एक तरफ तो इंटर लायबिलिटी तय करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उस ऐविडेंस को नहीं लेंगे। हम तो सिर्फ दो उसूल पर तय करेंगे तो यह कहां तक उचित होगा। मेरी समझ में तो मारगेजीज के दरमियान इस तौर पर तय करना दोनों के लिये इंजस्टिस होगी। बावजूद इसके कि दोनों के दरमियान इंटर लायबिलिटी के बाबत एग्रीमेंट है, फेमिली सैटिलमेंट है, फिर भी कहते हैं कि हम इसको सुनेंगे नहीं, तुम्हारा तेहरीरी सबूत मानेंगे नहीं तो यह तो अनुचित चीज होगी। या तो इस उपखंड को निकाल दिया जाय कि कोई मामला तय नहीं किया जायगा और पूरे का पूरा देखा जायगा और जैसे कि आगे चल कर व्यवस्था की गई है कि पूरे की डिग्री उनके हक में हो जायगी। जहां तक इस उपखंड का मतलब है वह मेरी समझ में उसी हद्द तक रह जाता है कि उनके आपस की जो लायबिलिटी है वह तय की जायगी।

जैसा कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि उनकी अलग-अलग लायबिलिटी डिग्री में लिखी जायगी तो जो उपखंड मैंने लिया उसके लिए खंड ६ में यह नहीं है कि उनकी सैपरेट लायबिलिटी डिग्री में लिखी जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि मारगेजी को जैसा कि मैंने कहा था कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसके अलावा जहां तक दो भिन्न जायदाद की बात है तो मेरे संशोधन में नहीं है सिर्फ कोमारगेजर्स का सवाल है। उनके दरमियान में जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि अगर कोई चीज तय होती है तो अदालत को पूरी तरह से निर्णय देना है।

मैं यह कहता हूं कि मारगेज डीड में एक बात यह कही गई कि इसमें लिखा हुआ है और तिस पर भी मेरे संशोधन के अनुसार जो चीज लिखी हुई है वह बदल जाती है तो यह चीज ठीक नहीं होगी। मैं यह कहता हूं कि उस केस को यहां क्यों न लिया जाय जिस हालत में कि मारगेज डीड साएलेण्ट है। अब फर्ज कीजिये कि ५० साल का दस्तावेज है और इस बीच में दुनिया भर के ट्रांजेक्शंस हुये और लेटेस्ट जो अन्तिम चीज है हमें उस पर ध्यान देना चाहिये न कि हम एक प्रिजम्पशन पर आ जांय कि जो कुछ भी हिस्सा इन लोगों का उस जायदाद में होगा उसी के मुताबिक कर देंगे। हम तो आपस में तय किये हुये हैं दूसरी चीज और हमारे ऊपर लादी जाती है तीसरी चीज तो यह कहां तक उचित होगा। हम तो जिनके दर्मियान में मामला तय करने जा रहे हैं वे तो दूसरी बात तै किये हुये हैं और हम कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ करेंगे। तो इस किस्म की बात जस्टिस के खिलाफ होगी। इस लिहाज से मैंने इस संशोधन को रक्खा है और मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर वापस ले लूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो फिर ऐसी भी सूरतें पैदा हो सकती हैं कि आज किसी जमींदार ने एक मारगेज किसी के हक में तहरीर किया हो और कर्जा लिया हो और उन दोनों की प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान की रकम निर्धारित की जाय एक की पुनर्वासन अनुदान की धनराशि

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

२५ रुपये मान ली जाय और डिग्री ५०० की हो और दूसरे मारगेजर के हिस्से में ४०० रुपये आ जायं और दोनों आपस में तय कर लें कि कर्जे का जिम्मेदार पहले वाला होगा जिसको २५ रुपये मिले और उस कांट्रेक्ट के मुताबिक २५ रुपये वाले पर लायबिलिटी हो गई। यह बात दस्तावेज तहरीर में है और दूसरा उस जिम्मेदारी से बरी हो गया तो ऐसी भी सूरतें पैदा की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से कोई मुआहिदा उनके दर्मियान में दस्तावेज के जरिये हो जाय और उस समझौते के अनुसार मारगेजी एक से वसूल करे और दूसरे से न करे तो एक तरह से दोनों मिल कर फ्राड कर सकते हैं। इस सूरत में यह संशोधन नामुनासिब है।

दूसरी बात यह है कि यह उसूल हमेशा से माना गया है और उस पर अमल भी हो रहा है और कभी उस उसूल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई जो ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दिये हुये हैं। मैं श्रीमान् की आज्ञा से ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा ४६ और ४७ को पढ़ देना चाहता हूं। इसमें यह है--

"Where immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interests therein, the transferors are, in the absence of a contract to the contrary, entitled to a share in the consideration equally where their interests in the property were of equal value, and where such interests were of unequal value, proportionately to the value of their respective interests."

४७ में यह है--

"Where sever co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferors, the transfer, as amongst such transferors takes effect of such shares equally where the shares are equal and where they were unequal proportionately to the extent of such shares."

मतलब यह है कि यही बात हमेशा लाई गई कि उनके पास की जो लाइबिलिटी है या अगर उनके शेयर्स डिफाइंड नहीं हैं तो ईक्वली माने जायंगे। यह बात संशोधन के जरिये से लाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि फिर वह सारी बातें उनकी आपसी अदालत में आयेंगी कि वह उन सारी बातों को कंट्राक्ट वगैरह की देखे और तब वह इस बात को करे। मैं यह अर्ज करता हूं कि जब उन्होंने बहस में यह कहा कि यह चीज बेकार इसमें है और जो बात वह लाना चाहते हैं वह भी बेकार है तो फिर इसका क्या मतलब होगा। अगर वह यह कहते कि इसको निकाल दिया जाय तब तो यह ठीक हो सकता था कि इसको मंजूर किया जाय या न किया जाय। लेकिन जब वह यह कहते हैं कि बेकार बात तो पहले ही इसमें है और उसमें वह इस बात को भी ऐड करना चाहते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये अगर उनका संशोधन यह होता कि यह धारा निकाल दी जाय तब तो देखा जाता कि क्या मुनासिब है। लेकिन अब जोड़ने की बात सही नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने से अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायंगी और यह मुनासिब भी नहीं है और इससे फ्राड भी हो सकता है और वे लोग आपस में मिलकर इस तरह की बात कर सकते हैं जो गलत हो। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है और जो धारा है वह उसी प्रकार से अपनी जगह पर सही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री देवकीनन्दन विभव——श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के भाग (क) की पंक्ति १ व २ में शब्द "निम्नलिखित" के पूर्व शब्द "न्यायालय" बढ़ा दिया जाय।

इसमें यह दिया हुआ है कि "देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा" इस वाक्य में यह पता नहीं चलता है कि कर्ता कौन है। इसलिये यह स्पष्ट नहीं होता। हो सकता है कि यह कहा जाय कि इसमें एक जगह पर "न्यायालय" शब्द आया है और यह उससे भी गवर्न होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यहां पर इसकी जरूरत है और "वह" इसको स्पष्ट करने के लिये जरूर होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि विभाजित होने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा ऐसा कर दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——यह संशोधन जो पेश किया गया है अनावश्यक है। वरना इसको स्वीकार किया जाता। यदि आप देखें तो मालूम होगा कि उसकी उपधारा की दूसरी सतर में यह शब्द "न्यायालय" आया है और यह उसी से गवर्न होता है। इसलिये इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव——अगर यहां पर यह न्यायालय से गवर्न होता है तो "वह" इसके लिये यहां पर रखना जरूरी है क्योंकि वह न्यायालय शब्द बहुत दूर हो जाता है। इस लिये मेरे खयाल से यहां पर "वह" शब्द रखना आवश्यक है और उससे यह मतलब निकल आयेगा कि न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा इस लिये मैंने यह रखा कि न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस को देख लें और उचित समझें तो स्वीकार कर लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, दूर और नजदीक से तो कोई अन्तर होता नहीं। इस में बहुत साफ है कि न्यायालय देय धनराशियों के उक्त प्रकार से विभाजित होने के बाद निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। यह बिलकुल साफ है कि न्यायालय जितनी कार्यवाही है वह सब करेगा और उसको यह गवर्न करता है।

श्री देवकीनन्दन विभव——मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाय——

"(४) यदि बंधक दी गई सम्पत्ति में बन्धककर्ता व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवास स्थान भी सम्मिलित हो, तो न्यायालय उक्त निवास स्थान को, किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी, ऋण की देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।"

श्रीमान्, इस संशोधन के स्वीकार किये जाने की इस लिये आवश्यकता है चूंकि इस धारा ३ के शुरू ही में यह लिखा हुआ है कि "किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुये भी" इसके अनुसार जितने भी पहले ऐक्ट जैसे एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट जिसके अनुसार जमींदारों को अपने निवास स्थान रखने का अधिकार मिला था उन का आपरेशन यहां खत्म हो जाता है चूंकि यह बाद में बना है और जनरल क्लाजेज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जो ऐक्ट बाद में बनता है वह कानून की नजर में मान्य रहता है। इसलिये यह स्पष्ट है कि कम से कम जो छोटे या बड़े जमींदार हैं इन्सानियत की दृष्टि से उन के रहने के मकान स्थायी हैं और वह मार्टगेज में आ गये हैं तो उनको छोड़ दिया जाय और वह डिक्री

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की धनराशि के एग्जिक्यूशन के लिये शामिल न किये जायं। यह और भी खंड ३ के उपखंड (३) में स्पष्ट हो जाता है जिस में लिखा है कि "जब बंधक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिन का पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो।"

इस प्रकार जब अलग-अलग बांट दिया जायगा तो इस बात की सम्भावना रह जाती है कि स्थायी निवास-स्थान इसमें आ जाय। इसलिये और भी स्पष्ट करने के लिये जिस बात को सरकार पहले ही मान चुकी है कम से कम उन के स्थायी मकान रहने दिये जायं। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाजवादी दल के सदस्यों को जब कुछ बातें अपने मन की कहना होती हैं तो वह कह दिया करते हैं कि इस बात को तो सरकार पहले से मान चुकी है। कहां कानून है कि जमींदारों के मकान छोड़ दिये जायंगे। कहीं नहीं। आज की कानूनी स्थित यह है कि जाब्ता दीवानी की दफा ६० के मुताबिक जो लोग किसान हैं या खेती का काम करते हैं उनके मकान कुर्क नहीं हो सकते। और सादा डिक्री में नीलाम नहीं हो सकते। सन् ४७ में इस पार्टी के मंत्रिमंडल ने उसमें संशोधन किया कि नीलाम भी नहीं हो सकता अगर मकान आड़ भी हो। सादा डिक्री में पहले मकान कुर्क होता है और फिर नीलाम होता है, अगर मकान मार्टगेज भी हो तो सन ४८ में यह कानून बना दिया गया कि किसान का मकान नीलाम नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि सादा कर्जे में और आड़े कर्जे में भी नीलाम नहीं होगा। दफा ६० कहती है कि—

"Provided that the following property shall not be liable to such attachment or sale, namely, a house and other buildings with the materials and the site thereof and the land appurtenant thereto and necessary for the enjoyment, belonging to an agriculturist and occupied by him."

अब इसमें संशोधन हुआ—

"Explanation I—Properties mentioned in clause (*c*) are exempt from sale in execution of a decree whether passed before or after the commencement of the Code of Civil Procedure (U. P. Amendment) Act, 1948 for the enforcement of a mortgage or charge therein."

मार्टगेज या चार्ज भी हो तो जायदाद पर तो भी उनकी वसूलयाबी के लिये उनका नीलाम नहीं हो सकता। यह कानून पहले से चला आ रहा है। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में एक दफा है २४। वह यह है कि—

"Provided also that the Collector shall leave to the debtor at least one residential house and the necessary furniture thereof if the debtor owns such house and furniture and such house and furniture free from mortgage or charge."

इसका मतलब यह है कि अगर मार्टगेज नहीं था तो मकान नीलाम से बरी रहेगा अगर कर्जदार उसे अपने लिये रखना चाहता है। तो जिन लोगों ने दरख्वास्त दे दी उनके मकान वैसे ही बच गये थे। लेकिन सन् ४८ में इस कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल ने तय किया कि अगर मार्टगेज हो तो भी बरी रहेगा। जमींदारों के हाथ में जब सब अख्तियार थे तो उन्होंने यह नहीं किया। हमने शब्द जमींदार नहीं रखा है, सिर्फ यह कि खेती करता हो। मान लीजिये कि लखनऊ में एक जमींदार की बहुत बड़ी कोठी है

और उसकी जमानत पर चाहे तहरीरी हो या इत्मीनानी हो, एक आदमी ने कर्जा दे दिया तो उससे क्यों नहीं वसूल हो ?हां, अगर वह खेती करता है तो गांव में जो उसका मकान है, चाहे वह आड़ हो या नहीं, तो वह नीलाम नहीं होगा, तो यह सब उसमें हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदारों के लिये कहां से मुहब्बत उमड़ पड़ी। जमींदारों का कर्जा इसमें इतना घटा दिया गया है कि वह २० फीसदी रह गया है। १/५ तो कर्जा वैसे ही हो जायगा। और फिर उसमें हमने कहा कि तुम्हारा प्रतिकर १/४ वैसे नहीं लिया जा सकता, तो ३/२० हुआ। यानी इनकम्बर्ड एस्टेट ऐक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट और इस डेट रिडक्शन बिल के मातहत कर्जा घटकर १५ फीसदी रह जाता है फिर भी माननीय अवधेश प्रताप सिंह को जमींदारों के प्रति अन्याय ही दीखता है। इस बिल में अगर किसी के प्रति अन्याय है तो वह सिर्फ मनी लेंडर्स के साथ है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने कई बार मेरा नाम लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको किस लिये इस कदर क्रोध मेरे ऊपर आ गया है। मैं जमींदार हूं मुझे तो जमींदारों से मुहब्बत होनी ही चाहिये। और लोग भी इधर के बैठने वाले हैं उनको भी अगर मुहब्बत हो तो ताज्जुब क्या है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को सब सहूलियतें दी गई हैं लेकिन अब तो जमींदार भी किसान ही हो गये हैं उनके पास भी अब कौन सी जमींदारी बाकी बची है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां होंगी और बहुत से जमींदार इस कानून के अन्तर्गत शामिल नहीं हो पायेंगे। जो पुराने वक्त में एक जमींदार था लेकिन आज तो वह केवल एक किसान ही रह गया है उसकी भी जीविका का प्रश्न है। उनका भी आपको खयाल करना चाहिये उनके पास भी अब कोई जरिया माश नहीं रह गया है। मैं मानता हूं कि यह ठीक है कि एग्रीकल्चरिस्टस का घर सुरक्षित है लेकिन जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है वह यह चाहते हैं कि हरएक जमींदार चाहे वह छोटा जमींदार हो या बड़ा उसको एक ही तरह ट्रीट किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय अबनार्मल कंडीशंस हैं। आज आप सब कुछ लेकर कर्जा घटा रहे हैं और जो पहिले कर्जे घटाये गये हैं उस वक्त उनके पास उनका सारा सरमाया मौजूद था, सारी संपत्ति मौजूद थी। आज की कंडीशंस को पहिले की कंडीशंस से मिलाना अनुचित है। ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से जमींदार होंगे जो सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत नहीं आते। कोई भी महाराजा हो या कोई निर्धन हो निर्धन को जिस प्रकार अपनी झोपड़ी प्यारी है उसी प्रकार महाराजा को अपना महल प्यारा है। जमींदारों ने जो ऋण लिया है उसका खमियाजा उनके बाल बच्चे क्यों उठायें उनको क्यों महाजन के चंगुल में फांसा जाता है। मैं किसी दूसरे आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर ही कह रहा हूं। अतः मैं श्रीमान् के द्वारा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस पर वे हठ न करें क्योंकि यह संशोधन बहुत ही निर्दोष है। महाजन को इससे कोई बड़ा घाटा नहीं होने जा रहा है जब कि एक जमींदार ऋणी के लिये बहुत दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी।

श्री राधामोहन सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह प्रस्ताव उनकी तरफ से कैसे पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मुझे एक वैधानिक आपत्ति है क्योंकि यह जो विधेयक हमारे सामने है जिस पर इस समय विचार हो रहा है वह जमींदारों के ऋण कम करने के लिये है। और जो आप का संशोधन है वह ऋण को कम करने के लिये नहीं है बल्कि जो ऐवेलेबिल एसेट है उसको भी आप निकल देना चाहते हैं। इस विधेयक के नाम को अगर आप देखें "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक" है। और इसके जो उद्देश्य और कारण

[श्री राधामोहन सिंह]

हैं उनको भी आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं । उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारी के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है । कमेटी को यह उचित और न्याययुक्त प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश के बाद जमींदारों की भूमि के कम हुये मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। लेकिन यह जो संशोधन है उसमें आस्थान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । जो मकान की बंधक है और जिन मकानों की क़ीमत में कोई कमी नहीं आयी है उसी के संबंध में यह व्यवस्था करना कि उनसे कर्जा भी वसूल किया जाय, बहुत आश्चर्यजनक मालूम होता है । मुझे तो इस समय उसके संबंध में वैधानिक आपत्ति है कि यह संशोधन नियमित नहीं है और इसका एलान ही नहीं करना चाहिये । लेकिन अब तो यह पेश हो गया है और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, जो जमींदार खेती करते हैं वे तो पहले से बरी थे । १९४८ के संशोधन के मुताबिक जो खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने मकान बंधक कर दिया है वे भी बरी हो गये । अब बहुत थोड़े लोग बच जाते हैं जिनके लिये यह कहा गया है । मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक जो है वह उन आस्थानों की क़ीमत में कमी होने के कारण लाया गया है वरना ऋण कम करने का कोई कारण नहीं है । उसमें यह संशोधन करना कि वे मकान जो कि काश्त नहीं कर रहे हैं उनके अलावा जो बंधक रखे हैं उनको भी इससे बरी कर दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । मैं तो यह गलत समझता हूं । अगर जमींदार भाइयों की तरफ से यह प्रस्ताव आता कि तमाम क़र्जा माफ कर दिया जाय तो मेरी समझ में यह बात आने की चीज थी । लेकिन इस तरह से जो कुछ भी महाजनों के लिये ऐवेलेबिल हैं उनको भी धीरे धीरे कम कर दिया जाय, यह अन्याय युक्त मालूम होता है । मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल ही असंगत है और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इसको वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय राजस्व मंत्री साहब जो सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनका सब से बड़ा हमला यह है कि क्या कारण है कि सोशलिस्ट पार्टी इन हत्यारे जमींदारों का समर्थन कर रही है

श्री चरण सिंह—मैंने हत्यारा शब्द नहीं कहा था । यह आप ही कह रहे हैं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, यह हत्यारा कौन सा शब्द है ।

श्री मलखान सिंह—ये पेट फाड़ने वाले, ये किसानों को लूटने वाले जमींदार, कल ये शब्द कहे गये थे । मैं आप के सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि इसी कांग्रेसी सरकार ने सन् १९४६ ई० में जमींदारी एबालिशन बिल को रखा और लगातार ५ वर्षों की कोशिशों के बाद उसे पास किया । और अपनी आंखों के सामने किसानों को मिटते हुये देखा और साथ ही यह भी देखा कि बड़े बड़े जमींदारों ने एक एक इंच जमीन बेच कर अपनी जेबें पूरी तौर पर भर लीं । और तब उनको खत्म कर दिया गया, ५ वर्ष में किसान मिट कर, बेदखल हो कर अपने घर बार से निकाल दिये गये । उसके बाद जब चिल्ल पों की गयी और आप ने देखा कि वे आपकी बगल में ही कराह रहे हैं फिर आप को यह रहम आया कि उनको कम्पेनसेशन भी मिलना चाहिये और जहां २५० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों के लिये यह निश्चय किया गया था कि उनको रिहैबिलिटेशन भी देना चाहिये वहां आपने उसकी मात्रा १० हजार रुपये मालगुजारी तक कर दी । ये इस तरह की चीजें हैं जो मेरे सामने हैं । इन १० हजार रुपये तक मालगुजारी देने वालों को आपने रिहैबिलिटेशन भी दिया और कम्पेनसेशन भी दिया और उसके बाद फिर आप ही की बगल में जो बैठने वाले हैं उनकी चिल्ल पुकार पर आप ने यह भी कर दिया कि इनका क़र्जा भी कम कर दिया जाय ।

तो आप का तो वह प्रेम जमींदारों के प्रति हुआ नहीं और जब हम न्याय की बात कहते हैं और यह कहते हैं कि आज का जमींदार तो जमींदार नहीं रहा, उसको नाम से कह लीजिये लेकिन वह तो उस नाम के काग़ज़ में भी रहा नहीं। वह भी एक इन्सान है और इन्सान के नाते हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है । जमींदार क्लास जो है उससे हमारी दुश्मनी सही हम उसको ख़त्म करना चाहते थे और बिला कम्पेनसेशन लेकिन इन्सान के नाते उससे हमदर्दी है । जो हम जमींदार क्लास के नाते चाहते थे वह आप ने तो किया नहीं लेकिन जब हम कहते हैं कि वह एक इंसान है और जिस घर में वह और उसका कुटुम्ब रह रहा है तो मेहरबानी करके उसको छोड़ दीजिये और उसका वह घर उसके हाथ से किसी क़र्ज़े में न निकलने दीजिये तो आप यह इल्ज़ाम सोशलिस्ट पार्टी पर लगा देते हैं कि हमारे अन्दर यह प्रेम कहां से उमड़ आया । मैं तो आप से कहता हूं कि जमींदारों को जितना बढ़ाया आपने बढ़ाया, जमींदारों को जितनी मदद दी वह आपने दी । आज गोचारे के लिये एक इंच भी जमीन नहीं रह गयी और जिसके लिए तमाम किसान और मज़दूर चिल्ला रहे हैं वह आपकी आंखों के आगे ही नहीं रह गई और फिर आप तरह तरह के क़ानून उन्हीं को खुश करने के लिये ला रहे हैं उन्हीं को कांग्रेस का टिकट दे कर के बड़ी बड़ी जगहों पर भेज रहे हैं, उन्हीं नवाबों के मकानों को माहवारी किराये ८ सौ रुपये महीने किराया दे कर ग़ल्ला गोदाम बनाते हैं और आने जाने का किराया भी देते हैं । वहां पर भी वे नाना तरीक़े से कराह रहे हैं लेकिन जब हम एक रहने के लिये मकान के लिये कहते हैं तो आप कहते हैं कि जमींदारों के प्रति हमारे अन्दर प्रेम कैसा । जमींदारों के प्रति यह प्रेम नहीं है यह तो इन्सान के प्रति प्रेम है जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था वही प्रेम एक इन्सान के प्रति हमारे हृदय में रहा है और रहेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जरा आप अपने पास में बैठे हुये जो आप के बग़ल में बैठे हुये हैं उनको देखिये वे कराह रहे हैं । अभी उस दिन एक कांग्रेसी सदस्य भी श्री भगवान सहाय जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका समर्थन कांग्रेसी जमींदारों ने भी किया । मुझे रहम आ गया उनकी सूरतों को देख कर जब वह बोल रहे थे जब उधर के कांग्रेसी सदस्यों ने जमींदारों पर कटुआलोचना की थी जमींदारों ने गरदन नीचे किये हुये सुना उनकी आंखों में आंसू भरे हुये थे और बहुत से सदस्य जब उन गालियों को न सुन सके तो सदन से बाहर चले गये तो मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह से आपका यह लांछन सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर जो लगा रहे हैं वह ग़लत है यह संशोधन मानवता के नाम पर हमने रखा है कि कम से कम वह और उसका कुटुम्ब जिस जगह रह रहा हो वहां पर उसको रहने दिया जाय वह कर्ज़ में न ली जाय । इस के सिवा सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर जमींदारों के प्रति प्रेम नहीं है और जमींदारों के बचाने का सवाल नहीं है इस लिये मैं इस संशोधन का जो रखा गया है अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसी विचार से इसको मंजूर करेंगे ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आप के सामने पेश है उसका विरोध करने को मैं आया हूं मैंने अभी अभी एक स्पीच सुनी तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि लोग भवन में आ कर जिस वक्त कि अपना व्याख्यान देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि संशोधन क्या है और हम वहीं तक सीमित नहीं रहते बल्कि आवेश में आ कर दुनियां की सारी बातें कहने लग जाते हैं जो पिछले जमाने से अब तक उन्हें याद हैं । मैं नहीं समझता कि सदन का समय इन सब बातों में बरबाद करने से क्या लाभ होता है हमें तो यह देखना चाहिये कि जो प्रिविलेज श्री तिवारी जी उन जमींदारों के लिये मांग रहे हैं यह उचित है या अनुचित । सिर्फ इतना देखना है इस पर इतना लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे कर सदन का समय लेना उचित नहीं है । सवाल यह है कि प्रिविलेज उस जमींदार क्लास के लिये जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं मांगा जा रहा है वह यह हाउस दे सकता है या नहीं । और इसी का हमें उत्तर देना है । इसी पर ही विचार करना है । मेरी अपनी धारणा यह है और मैं समझता हूं कि उचित है कि जब कभी भी हम किसी क्लास को स्पेशल प्रिविलेजे देते हैं तो वहीं पर दे सकते हैं जहां पर न्याय युक्त हो । वैसे कदापि नहीं देना चाहिये । प्रजातंत्र में प्रिविलेजेज नहीं हुआ करते हैं । प्रिविलेजेज तो किसी असाधारण परिस्थिति के

[श्री नौरंगलाल]

लिये दिये जाते हैं । यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसका सारा उद्देश्य केवल यह है कि जमींदारी उन्मूलन कानून पास होने की वजह से कुछ अन्याय यह हुआ कि प्रापर्टी की वेल्यु घट गयी । तो क़र्ज़ की वेल्यु भी उसी प्रोपोर्शन से घट जानी चाहिये । इतना गवर्नमेंट को करना जरूरी था क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा न करती तो कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाता । जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ था उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया । लेकिन इसके आगे जाना कि गवर्नमेंट किसी खास व्यक्ति के लिये कोई ख़ास सहूलियत दे दे, यह कभी भी उचित नहीं हो सकता। मुझे ताज्जुब है कि सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से ऐसा प्रोपोजल कैसे आया जब कि वह हमेशा इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी, और ब्रदरहुड की दुहाई देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं । मैंने कांग्रेस में काम किया, जेल भी गया । लेकिन आज मेरा मकान नीलाम हो जायगा क्योंकि मैं ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं । तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स के और ऐसे आदमियों के जिन्होंने देश के लिये काम किया है उनके मकान नीलाम हो जायंगे तो ऐसे नवाब और जमींदार जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं उनका क्यों मकान बचना चाहिये । जिस सिद्धांत को मान कर सब के मकान नीलाम होंगे उसी सिद्धांत के अनुसार उन के भी मकान नीलाम होंगे । सोशलिस्ट भाई इसको ठंडे दिल से सोचेंगे कि क्या वह इससे जनता का उपकार करना चाहते हैं, क्या यह न्याययुक्त है, तभी वह इस पर जोर दें । मैंने भी मार्क्सवाद का अध्ययन किया है । लिनन मार्क्सवादी ने कहा है कि जिस समय किसी प्रिविलेज क्लास को मिटाया जाय तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिये । वह यह कि जिस प्रिविलेज क्लास को खत्म कर रहे हैं उसको कोई ऐसे नये प्रिविलेज न दे दें जिससे एक नया प्रिविलेज क्लास पैदा हो जाय । तो आप एक नया प्रिवलेज क्लास पैदा करना चाहते हैं । आप ऐसे आदमी कायम कर रहे हैं जिनका मकान ही नीलाम हो, जो खेती न करते हों ।

इसलिये मैं आखिर में अपना विरोध प्रकट करते हुये यह कहूंगा कि कोई खास प्रिविलेज चन्द आदमियों को नहीं मिलना चाहिये । जिन को प्रिविलेज देना है, वह हैं हल बैल से जोतने वाले । जो काम नहीं करेगा, खाली बैठा रहेगा, ऐश करेगा उसका मकान जरूर जायगा और मकान ही क्या सब कुछ जायगा । वह देश के लिये हानिकर है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, इस मसले का ताल्लुक एक दूसरी चीज से भी है वह यह है कि अब तक का कानून यह है कि अगर किसी शख्स ने अपना मकान आड़ या रेहन किया हुआ है तो वह नीलाम हो सकता है और दफ़ा ६० जाब्ता दीवानी के अन्दर भी ऐग्रीकल्चरिस्ट का ऐसा मकान डिग्री में नीलाम होने से बरी नहीं है । अगर हम संशोधन जो हमारे भाई नारायण दत्त जी ने रखा है मान लेते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि हम उन काश्तकारों से भी जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं उससे भी ज्यादा उन जमींदारों को जो अब तक बेकारी के साथ रहते आये हैं एक ऐसा अधिकार दे देते हैं तो यह चीज किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं हो सकती क्योंकि काश्तकारों को जो अधिकार दिये गये हैं उसमें उस बात का खास तौर से खयाल रखा गया है कि अगर उन्होंने जानबूझ कर अपने मकान को आड़ करके या रेहन करके कर्जा लिया है तो इसके मानी यह हों जायेंगे कि हमने उस आदमी से जिससे हमने क़र्जा लिया उससे धोखा किया इस कानून के जरिये उस धोखे में काम हो जाता है । तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके इस पहलू को भी विचार कीजियेगा । क्योंकि अब तक के जितने हमारे देश के रूलिन्ग्स आप ने हाई कोर्ट्स के हैं उन सब के देखने से यह साबित होता है कि आड़ वाले मकान को उन्होंने डिग्री में नीलाम से बरी नहीं किया है, क्योंकि वह तो हमने जानबूझ कर उसके ऊपर क़र्जा लिया है और उसको हमें देना चाहिये उस किफ़ालत के जरिये से । अब सवाल यह रह जाता है कि आगे चल कर के यह बात आये कि छोटे छोटे जमींदारों के ऊपर यह बात लागू होगी, तो मैं कहता हूं कि जहां एक आम अधिकार हमनें छोटे काश्तकारों को या छोटे जमींदारों को दिये हुये हैं वह जैसे भी हैं, वह तो बदस्तूर वैसे के वैसे रहेंगे । अब नये अधिकार देना न तो न्यायोचित है और न इस बात की जरूरत है । इसलिये मैं अपने भाई नारायणदत्त जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने बहुत ध्यान से मंत्री जी की भी बातें सुनीं और दो एक सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनको भी मैंने बड़े ग़ौर से सुना है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी यह समझते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग जमींदारों के समर्थक हैं और उनके दिल में जमींदारों के लिये बड़ी प्रीत उमड़ आयी है । अगर मंत्री जी अपने कारनामों को देखें, अपनी कांग्रेस पार्टी के कारनामों को और सरकार की हरकतों को देखें तो साफ साफ पता चल जायगा कि जमींदारों का दोस्त कौन है और उनके लिये कौन ज्यादा कर रहा है । क्या मंत्री जी भूल गये कि अभी कुछ दिन पहले मार मार कर किसानों से दस गुना इसलिये लिया गया कि वह जमींदारों को दिया जाय ? किसका जमींदारों के लिये प्रेम है ? यह विधेयक आया, मंत्री यह भी उनके फायदे के लिये लाये । हमने तो इसको पेश नहीं किया, यह भी उसका सबूत है । हमने तो मानवता के नाते केवल यह अमेंडमेंट रखा कि जिस मकान में वह जमींदार रहता हो उस मकान को नीलाम न होने दिया जाय या उसके ऊपर किसी क़िस्म की चीज न हो, तो मंत्री जी को यह मालूम होने लगा कि हमारे अन्दर प्रेम आने लगा है जमीदारों के लिये । मैं आप से पूछूं कि मान लीजिये, कोई जमींदार किसी मकान में रहता है और वह नीलाम होता है तो उसको खरीदने वाला कौन होगा ? वह तो एकपूंजीपति या व्यापारी ही हो सकता ही है और जब वह उस जमींदार को जो उसमें रहता है, निकाल कर उसको खरीद लेगा, तो फिर उससे पैसा कमाना शुरू करेगा । वह रहने के लिये तो खरीदेगा नहीं । वह तो इसलिये खरीदेगा कि किराये पर चला जाय और दुगुना तिगुना उससे मुनाफ़ा उठाया जाय । तो उचित तो यही है कि जो आदमी जिस मकान में रहता है वह नीलाम न किया जाय । वैसे आपने कहा कि शहरों में बहुत से मकान हैं । अगर उसके ऊपर रुपया ले रखा है और उसमें नहीं रहता है तो हमें उसमें कहां विरोध है कि वह मकान नीलाम न हो हमारे संशोधन का मतलब तो यह है कि जिस मकान में आदमी खुद रहता हो उसी से मतलब है । तो ऐसी बातें कह देने से कोई फायदा नहीं । यह तो कहने की बात है कि जमींदारों का प्रेम उमड़ आया । अगर मंत्री जी में किसानों का प्रेम होता तो यह विधेयक जमींदारों के लिये खाली न आ कर तमाम जनता के लिये और किसानों के लिये होता । किसान आज खाने बगैर मर रहा है, क़र्ज़े से दबा हुआ है । उन किसानों की बात न करके जमींदारों के लिये यह विधेक पेश किया गया है ।

इन सारी चीजों को देख कर यह बात ज़ाहिर है कि कौन जमींदारों का हितैषी है, किस के हृदय में प्रेम है । हम किसी आदमी से प्रेम या दुश्मनी नहीं करते, हम किसी व्यवस्था के दुश्मन हैं । मान लीजिये मंत्री जी के पास थोड़ी सी जमींदारी है इसलिये थोड़ी जमींदारी होने के कारण उनसे नफ़रत करने लगें यह बात तो ठीक होगी नहीं । हां, इसलिये कि सरकार की नीति क्या है उससे हमारा विरोध हो सकता है लेकिन किसी के पास जमींदारी थी इसलिये विरोध करें यह कोई ठीक चीज नहीं है । यह बहुत सीधा साधा अमेंडमेंट है और मैं समझता हूं कि कि मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं आज सदन के सामने इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने अपने बुजुर्गवार की स्पीच सदन के अन्दर सुनी । उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया । अभी हाल ही में हमने देखा कि सोशलिस्ट पार्टी और पार्टीज से मिल रही हैं । उनमें भी बहुत से पूंजीपति मौजूद हैं । हमारे यहां राजा नवाब पर छींटाकशी की गयी । मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि राजा, रानी, अमीर, ग़रीब का कोई क्वेश्चन नहीं है । हर पार्टी में ग़रीब भी हैं और अमीर भी हैं लेकिन विचार धारा देखी जाती है कि किसके विचार कैसे हैं । अगर कोई राजा शुद्ध हो जाता है और उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं तो उसके साथ हम हैंड ज्वाइन करने में कोई आपत्ति नहीं समझते । अगर किसी का ईमान दुरुस्त है नेक आदमी है मुल्क के काम पर मरमिटने को तैयार है तो हम उसके साथ हैं और वह हमारा भाई है । हम ऐसा

[श्री शिवनारायण]

नहीं चाहते कि आज इस नाव पर और कल दूसरी नाव पर । माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है कि जमींदारों के जो रेजीडेंशल हाउसेज हैं उनको फ्री कर दिया जाय, मैं उनसे पूछता हूं कि जिन्होंने रुपये ले कर के विलिंडन होटल में मौज उड़ाया है, गुलछर्रे किये हैं, पेट्रोल जलाया है वह रुपया गवर्नमेंट कहां से लायेगी, अलाउद्दीन का चिराग़ तो है नहीं जिस से गवर्नमेंट रुपया बना कर दे देगी, जो उनके पास प्रापर्टी होगी उसी से सरकार वसूल करेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक़ है । सरकार ने जो बिल रखा है वह अति उत्तम है और मैं अपने बुजुर्गवार से निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं.....

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आप उपाध्यक्ष के द्वारा कहिये ।

श्री शिवनारायण---मैं उपाध्यक्ष के द्वारा ही कहूंगा बाबू साहब, घबड़ाइये नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है । मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहूंगा कि वे अपनी गन्स को रिजर्व रखें और अपने एनीमीज पर अटैक करें न कि अपने किसान फ्रेंड्स पर अटैक करें । अभी ठाकुर साहब ने कहा कि जमींदारों ने यह किया, वह किया और फिर कहते हैं कि अमेंडमेंट सुन्दर है । मैं तो कहता हूं कि उन्होंने किस तरह से इसको सपोर्ट करने की हिम्मत की जब कि वे ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का दावा करते हैं कि हम ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन लायेंगे । मैं नहीं समझता कि आप इसको कहां तक प्रैक्टिकल कर सकेंगे । कहता वहुता सब मिले, गहता मिला न कोय, वाली बात है । इन शब्दों के साथ सरकार का जो बिल है उसको सपोर्ट करता हूं और इस अमेंडमेंट का खंडन करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कभी अर्थ का अनर्थ करना होता है और उसको व्यवहार में व्यवहृत करना होता है, तो मैंने वही आज फिर यहां पर दोहराया हुआ माननीय मंत्री जी की ओर से देखा । मैंने कभी जो नहीं कहा और जो मेरा अभिप्राय कभी नहीं था, उस सभी का दोषारोपण मेरे तथा मेरे निर्दोष संशोधन पर कर दिया गया । कहां तो उसमें केवल "रेजीडेंस" की बात थी लेकिन उसको इस प्रकार बढ़ा दिया गया कि बड़े बड़े मकान, जो जमींदारी के महल और कोठियां हैं उनको भी इसके द्वारा बरी किया जा रहा है और न जाने क्या क्या कह दिया गया । श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संशोधन की ओर आकर्षित करूंगा जिस में लिखा है कि "यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित हो ।" इसमें बड़े बड़े बंगले और कोठी की बात नहीं है, केवल कुटुम्ब के निवासस्थान की बात रह जाती है । रेजीडेंस में या मकान में, या कोठी में या महल में फर्क होता है । एक मकान में कई कुटुम्ब रह सकते हैं । इतना बड़ा कौंसिल हाउस है । इस में दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन आप यह तो नहीं कह सकते कि इसमें केवल एक ही डिपार्टमेंट है बड़ी बड़ी कोठियां इस लखनऊ के अन्दर हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, जरूर हैं, जमींदारों की भी हैं । लेकिन ऐसी ऐसी कोठियां हैं जिनमें तीस-तीस और चालीस-चालीस कुटुम्ब निवास करते हैं । इसी लिये मैंने अंग्रेजी में लिखा कि रेजीडेंस और मकान के बीच में फर्क हो । इसको मैंने स्पष्ट किया था । अब अगर माननीय मंत्री जी यह कहें कि रेजीडेंस और हाउस एक ही चीज है और एक कोठी के अन्दर बहुत से कुटुम्ब नहीं रह सकते हैं तो यह माननीय मंत्री जी की दलील हो सकती है लेकिन मैंने जैसा बचपन से आज तक देखा है यह बिलकुल स्पष्ट है कि रेजीडेंस में और हाउस में फर्क होता है । हम यह कभी नहीं कहते कि आप जमींदारी का विनाश मत कीजिये । जैसा कि हमारे माननीय ठाकुर साहब ने कहा हमने तो प्रतिकर का पूरा पूरा विरोध किया । हमने तो ऋण के बारे में भी कहा कि ढाई सौ के ऊपर के जो लोग हैं उनसे अगर आपको पुनर्वासन अनुदान की भी जरूरत पड़े तो ले सकते हैं । लेकिन यह सवाल तो एक इंसानियत का है कि प्रत्येक परिवार के

पास रहने लायक मकान हो। यह हमारा सिद्धांत है और कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर इस बात की घोषणा किया करती है कि प्रत्येक परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जब जमींदारों के बारे में या किसी परिवार के बारे में यह प्रश्न आता है तो अपने सिद्धांत को बदलना पसन्द करेंगे आप सारी जमींदारी जब्त कीजिये, महलों को जब्त कीजिये, कोठियों को जब्त कीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम तो केवल इतना कहते हैं कि उनके कुटुम्ब के लिये जो मकान है वह उनके पास रहना चाहिये।

दूसरा सवाल यह है कि श्रीमन् अगर हम यह देखते कि मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा उनके मकान को जब्त कर के किसी ऐसे गरीब को देने जा रहे हैं जो सड़कों पर फुटपाथ पर सोता है तो मैं कभी ऐसे संशोधन को न लाता और मैं पहला आदमी होता जो कहता कि जिनके पास मकान आज तक थे उनसे छीन कर आप उनको देने जा रहे हैं जिनके पास मकान आज तक नहीं थे तो यह ठीक है लेकिन आप ऋण के रूप में रहने वाले मकान को छीनकर उस महाजन को देंगे जो उतना ही बड़ा धन्नासेठ हो सकता है जितना कि वह जमींदार। तो यह मेरी समझ में कोई न्याय का प्रश्न नहीं है। यह तो एक समान श्रेणी के स्वार्थ के व्यक्ति से ले कर दूसरे समान श्रेणी के स्वार्थ के व्यक्ति को कोई 'इम्मूवएबुल प्रापर्टी' देना है। अगर यह मेरी समझ में न्याय का प्रश्न होता तो मैं कभी भी इस संशोधन को पेश नहीं करता। आप सोशलिस्ट पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता को कभी ऐसा संशोधन पेश करते न देखते। लेकिन जब इसमें श्रेणी संघर्ष के स्वार्थ का सवाल नहीं है और यह एक ही श्रेणी का प्रश्न है तो इसमें हमें अपने उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी को जमींदारों के साथ मुहब्बत हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन जमींदारों से भी बड़ा अभिशाप-हमारे समाज के लिये और हमारे देश के लिये अभिशाप-अंग्रेजी शासन रहा था, तो क्या सरकार ने किसी भी अंग्रेज के घर को कुर्क किया, किसी भी अंग्रेज की प्राइवेट प्रापर्टी को छुआ ? बड़े बड़े उद्योग धंधे उनके हैं और हमारे कुमायूं डिवीजन में उनके बड़े बड़े चाय के, फल के बागीचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप जमींदारों के बारे में कहते हैं कि मुहब्बत हो गई। एक रेजीडेंस वाले सवाल पर भी एतराज उठाया गया। हमारा कहना यह है कि जमींदार तो हमारे देश के थे। वह शोषण करने वाले जरूर थे लेकिन थे तो देश की ही। क्यों नहीं अंग्रेजों के लिये जो विदेशी शासक थे इस प्रकार का विधेयक लाये कि उनकी प्रापर्टी पहले ली जायगी, उनके मकान लिये जायंगे, उनकी फैक्टरीज और बगीचे वगैरह लिये जायेंगे अगर इस प्रकार का कोई कदम हमारी सरकार ने उठाया होता तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे कि आपने यह गल्ती की। हम जब देखते है कि अंग्रेजों का प्रश्न है तब तो सरकार ने उसको इस तरह से बरता नहीं और आज जब हम न्यायसंगत चीज रख रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी को उस पर एतराज होता है।

हमारे दोस्त श्री राधामोहन सिंह जी ने कहा कि इसमें वैधानिक आपत्ति का प्रश्न है और यह नहीं आ सकता है। अगर वह परिभाषा देखते तो ऐसा न कहते। परिभाषा 'दो सिक्योर डेट' में साफ लिखा है कि 'सुरक्षित ऋण का अर्थ किसी आस्थान के बंधक द्वारा तथा अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है।' इस अचल सम्पत्ति में तो निवास स्थान या मकान आ जाया करता है। परिभाषा के अन्दर अचल सम्पत्ति को स्वीकार किया गया है। अब भी अगर माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो वह इस विधेयक से जरूर हो सकती है। अगर उनको आपत्ति है तो उनको माननीय मंत्री जी से शिकायत होनी चाहिये थी कि आपने अचल सम्पत्ति शब्द को लाकर इस विधेयक को अनकांस्टीट्यूशनल कर दिया। माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जो जमींदार खेतिहर होंगे तो उनके लिये लागू हो जायगा और जो खेती नहीं करते हैं तो उनके लिये लागू नहीं होगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

माननीय मंत्री जी ने सात आठ ऐक्टस पढ़े थे लेकिन वह कोई लागू नहीं होते ह। मैं फिर निवेदन करूं कि खंड ३ में शुरू में ही लिखा हुआ है कि ऐक्ट उन पर लागू नहीं होता है। जितने ऐक्ट्स के नाम लिये वह इसकी वजह से लागू नहीं होते हैं। अब मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ दूं तो साफ हो जायगा। वह यह है कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुये भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा ।]

इसमें जितने ऐक्ट हैं वह लागू नहीं हो सकते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे तो उसमें प्रश्न उठ सकता है। अब आप अगर हंसना शुरू कर दें तो मैं तो रोक नहीं सकता हूं। आपके यहां न उठाया जाय लेकिन कोर्ट में उठ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह ऐक्ट में ही लिखा हुआ है। इसके बाद जहां तक दूसरा सवाल आया तो हमारे शिवनारायण जी को शिकायत हुई कि जान बूझकर रहन किया है तो उसको यानी महाजन को धोखा देना है । हमारे शिवनारायण जी ने या शायद नौरंगलाल जी ने कहा कि जानबूझ कर रहन किया है और उसको रद्द कर देते हैं तो 'मारगेजी' को धोखा देना है । अगर ऐसा है तो जितनी प्रापर्टी हैं सभी जानबूझ कर रहन होती हैं । यह नहीं होता है कि रेजीडेंस ही अकेली रहन होती है। जो कर्जा लिया जाता है वह भी जान बूझकर लिया जाता है। यदि ऐसा है तो यह विधेयक भी नहीं आना चाहिये था क्योंकि हर एक ने काम जान बूझ कर किया था ।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलीलों से हमारा काम नहीं चलेगा और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन पर पुनः विचार करें और उसे स्वीकार कर लें । यह केवल रेजीडेंस का सवाल है, कोई बड़े कम्प्रोमाइज का प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो माननीय मंत्री को विश्वास दिलाऊंगा यह तो जमींदारों का प्रश्न है, हमारी सरकार भी जब कभी कोई सही बात लाती है तो उसका हमने स्वागत किया है, तो क्या सरकार कहेगी या मानेगी कि हमें उनसे मुहब्बत है या माननीय मंत्री जी की नीति से मुहब्बत हो जाती है। जब कोई सही बात आती है तो सोशलिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है, चाहे उसको कोई भी रक्खे, उसमें कोई मुहम्बत का सवाल नहीं होता। सिद्धांत की बात होनी चाहिये, उसका हम समर्थन करते हैं, वैसे तो हम सब एक दूसरे से मुहब्बत करते ही रहते हैं ।

श्री चरणसिंह—मैं कहता हूं मुहब्बत है तो इंकार है और अपने आप कह रहे हैं कि मुहब्बत है। मेरे कहने में क्या जहर घुस जाता है। मैंने कहा कि आपको जमींदारों से मुहब्बत है तो माननीय जगन्नाथ मल जी उठे कि हमें तो हर एक से मुहब्बत है, आदमियों से नफरत नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत की व्याख्या होने लगी। फिर उसी से प्रोटेस्ट क्यों कि आपको जमींदारों से मुहब्बत है। मुहब्बत होना कोई बुरी चीज नहीं है। हमको भी मुहब्बत है लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। इस विधेयक में मुहब्बत करने या न करने में कोई रोक नहीं है।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ यह बात कही कि हम लोग तो आपकी भाषा में प्रतिक्रियावादी हैं, प्रगतिशील नहीं हैं क्योंकि जमींदारों के साथ हम रियाअत करते हैं। यह आपका चार्ज हम पर है। तो जितनी रियाअत हम करते हैं आप उससे आगे जाने को तैयार हैं तो यह उल्हाना क्या हम नहीं दे सकते क्योंकि हम जमींदारों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं इसलिये हम प्रतिगामी लोग हैं तो जब आप १० गुना आगे जाने को तैयार हैं तो क्या हमें यह पूछने का भी हक नहीं है कि यह क्या माजरा है। यही मेरा मतलब था। बाकी मुहब्बत होना कोई बुरी चीज नहीं है। सवाल यह है कि आगे इस बात की दुहाई नहीं देनी चाहिये कि हम बड़े प्रगतिशील हैं कांग्रेस वालों से ज्यादा प्रगतिशील हैं क्योंकि प्रगतिशील का क्राइटेरियन यह बना रखा है कि जमींदारों के साथ रियाअत न की जाय। आप हमसे भी ज्यादा रियायत करने को तैयार हैं तो आपको क्या कहा जाय। यही मेरे कहने का मतलब था।

अब रही यह बात जब देखा कि जमींदारों के नाम से मकान छुड़वाने की बात या ढाई सौ रुपये से कम जमींदारों के अनुदान छुड़वाने की बात मैंने कही तो ठाकुर मलखान सिंह जी पलट पड़े कि हम तो मानवता के कारण कर रहे हैं, जमींदारों के नाते नहीं कर रहे हैं। वे जमींदार तीन जून के बाद मानव हो गये पहले मानव नहीं थे लेकिन यह कर्जा उस जमाने का है जब कि वे मानव नहीं थे। तो यह दलील भी आपकी लगती नहीं। फिर पहली बातों को दोहराया गया कि यह किया वह किया। उन्हें छोड़िये अब आप क्या कर रहे हैं? कहा गया कि अंग्रेजों की फैक्टरी नहीं ली गई। जब हिन्दुस्तानियों की फैक्टरीज ली जायं और अंग्रेजों की न ली जायं तब तो यह बात कही जा सकती है, यहां तो सवाल जमींदारी का है। इस अधिनियम के अनुसार जिस कदर हिन्दुस्तानियों का अधिकार लिया जा रहा है उसी कदर अंग्रेजों का भी हक लिया जा रहा है। यहां तो जिक्र जमींदारों के हक लेने का या जमींदारों के कर्जे को घटाने के बाबत है, इसमें अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में कोई इमतियाज नहीं है।

अब जहां तक मकान का सवाल है हमें यहां पर इसी पर विचार करना है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि जिस हद तक आस्थान पर कर्जे हैं और जिस हद तक इस्टेट पर कर्जे हैं उनको उसी हद तक घटाया जाय और जिस हद तक नान इस्टेट पर कर्जे हैं अर्थात् प्रापर्टी पर कर्जा है जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत एक्वायर नहीं की गई हैं उस कर्जे को हम नहीं घटा रहे हैं। यह इसकी स्कीम है। आप छुड़ाना चाहते हैं उन मकानों को जो जमींदारों के कब्जे में इस हैसियत से हैं कि वह किसान नहीं। अगर वह किसान की हैसियत से मकान रखते हैं तब तो वह नीलाम ही नहीं हो सकते हैं चाहे उनके ऊपर सादा कर्जा हो या आडी कर्जा हो जैसा कि अभी कहा गया कि एग्रीकलचरिस्ट का मकान किसी भी हालत में नीलाम नहीं हो सकता है और इसका जिक्र मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कर दिया था और उसको पढ़कर भी सुना दिया था कि जिस आदमी की आमदनी अधिकतर खेती से है उसका रिहायशी मकान और उसके दूसरे मकान जो खेती के काम में आते हैं घेर या बाड़ा वह नीलाम नहीं हो सकते हैं चाहे डिग्री किसी तरह की भी हो। यह पोजीशन कायम रहेगी। अब आप छुड़ाना चाहते हैं उन मकानों को जिसमें वह आबाद नहीं है किसानों की तरह से तो इसकी सारी स्कीम के विपरीत ही यह हो जाता है। अगर आप ऐसे मकानों को छुड़ाना चाहते हैं जिसमें वह किसान की हैसियत से आबाद नहीं है तो फिर शहर के लोगों का क्या कसूर है जहां पर मजदूर पेशा लोग बसते हैं, दुकानदार बसते हैं और सरकारी कर्मचारी बसते हैं तो फिर उनके मकानों को क्यों नीलाम किया जाय। इस लिये इस संशोधन का कोई तुक नहीं है। हां, एक बात माननीय नारायणदत्त जी ने अपने तजुर्बे की बिना पर कही कि मैं बचपन से देखता आया हूं। अभी तो जुम्मा जुम्मा आठ दिन ही होते हैं। मुझे माननीय सदस्य माफ करेंगे कि यह कुछ जाती सी बात हो गई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे माननीय नारायणदत्त जी कुछ भी दलील दिया करें लेकिन

[श्री चरणसिंह]

अपनी उमर की बिना पर अपने लम्बे तजुर्बे की बिना पर कोई बात न कहा करें क्योंकि उसमें वजन रहता नहीं है। परमानेण्ट रेजीडेंस जो हैं उनका मतलब यह है कि 'किसी मकान में १० आदमी रहते हैं उसके लफ्ज यह हैं कि यदि बन्धक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता व उसके कुटुम्ब का अस्थायी निवास स्थान भी सम्मिलित हो परमानेण्ट रेजीडेंस उसका सारा अपना रेजीडेंस कहलायेगा तो फिर उसमें देखा जायगा कि कितने कमरे हैं या और कोई भी उसमें रहता है। आपने उसके अन्दर कोई प्राविजो दिया नहीं है तो फिर उसमें वह सारा मकान बेचा जायगा। एक बात को सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया और सोचने लग गया कि नारायणदत्त जी भी कभी-कभी ऐसी बात कह देते हैं जो कभी विश्वास करने के लायक नहीं हो सकती है जब उन्होंने कहा कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall, after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।]

आपने कहा कि पुराना ऐक्ट मन्सूख हो गया और आपने यह भी कहा कि मैंने कई ऐक्ट गिना डाले और इससे जमींदारों को फायदा पहुंचेगा मेरा कहना यह है कि वह ऐक्ट सब मन्सूख हो गये और आपने इसको पढ़ दिया कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall, after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो, न्यायालय देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।]

तो एक स्कीम ले डाउन करने जा रहे हैं तो यह स्कीम जो हम ला रहे हैं और यह जो इसमें बटवारा कर रहे हैं स्टेट और नान स्टेट पर जो कर्जा है एक राहिन पर या दूसरे राहिन पर तो यह बावजूद तमाम दूसरे कानूनों के यह चीज जायज होगी। इसका मतलब सारे कानूनों की मंसूखी का नहीं है। अगर यह कहते कि बावजूद इसके कि कुछ भी लिखा है लेकिन आगे से डेढ़ रुपया प्रतिशत का सूद रहेगा तो हम समझते हैं कि मंसूख हो गये। ऐसा डेट रिडेम्पशन ऐक्ट की रू से भी नहीं हो सकता और अगर आगे से जाती डिक्री बन सकती तो भी दफा २१ मंसूख हो जाती। लिहाजा कोई मंसूख नहीं होता है और जितनी रियायत हो सकती थी और जो देय रकम है उसमें भी अब १५ रुपया ही सौ में वसूल होंगे। और बहैसियत किसान के गांव के उनके मकान पहले भी महफूज थे और वह आज भी वैसे ही रहेंगे। आपका मतलब यह है कि जो शहरों के उनके मकान हैं कि जो खेती गांव में नहीं करते हैं उनको भी छोड़ दिया जाय तो यह तो इस बिल की स्कीम के ही खिलाफ बात है और यह इसमें फिट नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसी उम्मीद तो मैं उनसे नहीं कर सकता कि वह इसको वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाय—

"यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बन्धककर्ता (Mortgagee) व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित हो, तो न्यायालय उक्त निवासस्थान (Permanent residence) को, किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी, ऋण की देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हू कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु जिन सुरक्षित ऋणों पर यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट लागू होता हो और उसके अनुसार देय धनराशि जिस क़दर कम होगी यदि वह उपरोक्त निर्धारित धनराशि से कम है तो वही देय समझी जायगी।"

अभी राजस्व मंत्री जी ने यह बताया कि इस ऐक्ट के होते हुये भी जो दूसरे डेट के बारे में ऐक्ट हुये हैं वह लागू होते हैं। इस बिल की रचना जो है उसको पढ़ कर भी यह मालूम होता है कि जितने भी डेट के ऐक्ट हुये हैं वह सब लागू होंगे। धनराशि की परिभाषा जो दी गई है उससे भी यह ज्ञात होता है कि और खंड ३ का जो उपखंड (१) पढ़ा गया है उससे भी यह ज्ञात होता है कि जितने डेट ऐक्ट हैं वह सभी लागू होते हैं। यह संशोधन पेश करने का मेरा अभिप्राय यह था कि डेट रिडम्पशन ऐक्ट के अनुसार जो देय धनराशि कम होती है वह बहुत ही ज्यादा हुआ करती है।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरा ख़याल है कि डेट रिडेंपशन ऐक्ट के हिसाब से जो धनराशि कम हो जाती है उसे देखते हुये फिर दूसरे तरीके से भी उसे कम करना यह मार्टगेजी के लिये अनुचित होगा और उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा। अभी जो राजस्व मंत्री जी ने बताया उससे भी साफ जाहिर है कि कितना रुपया मार्टगेजी का कम हो जाता है। वह रकम बहुत ज्यादा हो जाती है। देहात में जो मार्टगेजी हैं वे ज्यादातर कृषक लोग हैं। उन्होंने जमीन के ऊपर कृषि उद्योग के लिये रुपया दिया। अब जमींदारी उन्मूलन के अनुसार उनसे बहुत सी जमीन भी छीन ली गई और उसके बाद जो उनकी गाढ़ी कमाई का या बचत का रुपया था उसमें भी अब कमी की जायगी यानी एक तरफ तो डेट रिडेंपशन ऐक्ट के मातहत और दूसरे इस बिल से कम किया जायगा। यह शायद बहुत से कृषक लोगों के लिये जुल्म होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट के अनुसार या इस विधेयक से जो रक़म कम होगी तो दोनों में जो कम हो वह देय धनराशि समझी जाय। यदि इस तरह से नहीं किया जाता है तो हमारे कृषकों को भविष्य में रुपया नहीं मिलेगा। मार्केट में फ़लो आफ मनी कम हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि दोनों ऐक्टों में जिसमें रुपया कम हो वही रखा जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंवरकृष्ण जी के संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि यह अनावश्यक है। यू० पी० डेट रिडेंपशन ऐक्ट का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता जब कि यह विधेयक आज यहां प्रस्तुत है। जहां तक यू० पी० डेट रिडेंपशन का सवाल है वह तो अगर किसी को हक़ हासिल है तो वह आज उस अदालत में जाकर जिसको कि जुरिस्डिक्शन है इस तरह का निर्णय

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

करा सकता है और उसके जरिये जो सहूलियत उसे मिले वह ले सकता है। उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट सन् ४० में महज एग्रीकल्चरिस्ट के वास्ते था और यह बिल जो बनाया जा रहा है यह अब एबनार्मल कण्डीशन्स में जमींदारों का डैट कम करने की दृष्टि से है। श्रीमन् यह जो यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट है उसके प्रीऐंबिल में यह लिखा है कि यह ऐक्ट ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये लाया गया है लेकिन यह जो मौजूदा बिल है वह जमींदारी अबालीशन के बाद जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट पर लाया गया है। अतः ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। इससे सरकार की यह मंशा साफ मालूम होती है कि जमींदारों को इससे सहूलियत दी जाय क्योंकि उनकी मिल्कियत का मूल्य उतना नहीं रहा जितना पहले था। अबालीशन के पश्चात् प्रापर्टीज की वैल्यू वह नहीं रही जो पहले थीं। इन परिवर्तित स्थितियों में यह विधेयक लाया गया है। अतः इसका संबंध यू० पी० डैट रिडेम्पशन ऐक्ट से करना एक तरह से वैधानिक आपत्ति को उठाता है। अतः किसी कायदे से भी इसका संबंध उस ऐक्ट से नहीं हो सकता। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने मित्र वर्मा जी से कहूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने उपस्थित किया है और जो बातें उन्होंने दलील में कहीं वे दोनों इनकंसिस्टेंट हैं। वे चाहते हैं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट और इस मौजूदा ऐक्ट दोनों का फायदा जमींदारों को न मिले और इसीलिये उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है। अगर उनका यह संशोधन मान भी लिया जाय तो भी यह बात नहीं हो सकती जो वह चाहते हैं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट लागू न हो। जैसा कि धारा ३ के उपखंड (१) में बतलाया गया है "देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।" यानी अवधारित धनराशि जो होगी वह डेट रिडेम्पशन ऐक्ट के अन्दर जो कायदे हैं उनके अनुसार होगी और उसके बाद डिग्री की जो धनराशि होगी उसको इस विधेयक के कायदों के अनुसार स्केलिंग डाउन किया जायगा। इसलिये इसमें यह सवाल पैदा नहीं होता कि डैट रिडेंपशन ऐक्ट लागू न हो। इसलिये आपने जो अपने संशोधन में रखा है कि दोनों धनराशियों में से जो कम हो वह मानी जाय, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः यह संशोधन मुनासिब नहीं है और न इससे कोई मसला ही हल होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४-(१) कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद ऋणी (judgment-debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यून करने का अधिकार।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान मात्र हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय—

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे;

(i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिए धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिग्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(i) यदि एक ही वाद ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(ii) यदि दो या अधिक वाद ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा

(iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवा वाद ऋणी जिसे इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक पृथक इकाई (unit) समझा जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent) सहित जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा ।

बन्धककर्ता अथवा वाद ऋणी को अलग अलग इकाई समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

'खंड ५ के स्पष्टीकरण की प्रथम पंक्ति के अंक व शब्द "८ अगस्त, १९४६" के स्थान पर अंक व शब्द "२४ जनवरी, १९५१" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह बहुत ही निर्दोष किस्म का संशोधन है । इसके माने यह हैं कि इस संशोधन द्वारा ८ अगस्त सन् १९४६ तक के किसी बटवारे को मान्यता देने का प्रश्न नहीं था बल्कि वह जिम्मेदारी संयुक्त मानने के लिये उतारू हैं । यह संशोधन उपस्थित करके मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उस दिन से वह न मानें जिस दिन इस विधान सभा ने जमींदारी उन्मूलन के उसूल को स्वीकृत किया था बल्कि २४ जनवरी, १९५१ जिस दिन की राष्ट्रपति ने इस ऐक्ट पर हस्ताक्षर किया था, उस दिन से मानें । इस पर कोई बहुत ज्यादा दलील नहीं है बल्कि महज एक छोटी सी बात है । बहुत से बटवारे तो इस दरमियान म अंडर आर्डर आफ कोर्ट्स हुये और उन बटवारों को मान्यता न देना यह अनुचित प्रतीत होता है । जब कि कोई पुनर्वासन अनुदान का प्रश्न नही है, जब कि यह नहीं कहा जा सकता कि किसी बदनीयती से किसी जमींदार ने यह बटवारा किया है । सन् ४९ तक किसी बटवारे की रोक नहीं थी बल्कि उस वक्त तक किसी भी नागरिक को अधिकार था कि वह अपनी जायदाद का बटवारा कर सकें । इस परिस्थिति में यह कहना कि महज सन् ४६ से ही हम उनको मानते हैं और उसके उपरान्त जो बटवारे अदालतों के द्वारा हुए हैं, और किसी बदनीयती के खयाल से नहीं हुए हैं कि गवर्नमेंट से कोई नाजायज या अनुचित लाभ उठावें तो मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगी क्योंकि इससे सरकार को कोई नुक़सान या क्षति पहुचने की आशंका नहीं है ।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को क्षति पहुंचने या न पहुंचने की कोई बात नहीं है । जमींदारी विनाश का प्रस्ताव ८ अगस्त, सन् ४६ को पास हुआ था । उसके बाद जो तकसीमें हुईं उनको हमने माना नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको मान लेने से यह परस्पर विरोधी हो जायगा । ८, अगस्त, सन् ४६ को जमींदारी एबालिशन का प्रश्न पेश था तो जिन जमींदारों को

अपनी कोई पेश बन्दी करनी थी उन्होंने उसके बाद करना शुरू कर दिया। २४ जनवरी, सन्. ५१ के पहले कोई तकसीम हुई या बाद को हुई, इस सिलसिले में कोई महत्व नहीं रखता है। सारा महत्व तो यह है कि उस रोज यह अधिनियम पेश हुआ। इस तरह से ८ अगस्त, सन् ४६ की तारीख जो रखी गयी है वह रेलिवेंट है इसलिये मैं समझता हूं कि अलग से कोई तारीख रखना असंगत होगा।

अध्यक्ष—क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह—जी हां, मैं उसे वापस लेता हूं जिससे सदन का समय बरबाद न हो।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

कम किये गये धनराशि के लिये डिक्री।

६—(१) देय धनराशि के धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा—

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिए,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि क लिए, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी धनराशि के जोड़ के (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (३) के अधीन मामलों में, ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि के जोड़ तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग अलग दिखायी जायगी।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द "प्रत्येक बन्धककर्ता के" के स्थान पर शब्द "सभी बन्धककर्ताओं" तथा शब्द "धनराशि" के स्थान पर शब्द "धनराशियों" रख दिये जायं।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमन्, यहां पर धनराशियों के जोड़ का उल्लेख है लेकिन जिस तरह से यहां पर शब्द आये हैं धनराशि वे मुझे अशुद्ध मालूम पड़ते हैं इसलिये मैंने धनराशि की जगह पर धनराशियों और प्रत्येक बन्धककर्ता की जगह पर सभी बन्धककर्ताओं रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह जो अंग्रेजी की प्रति इस विधेयक की है उसके खंड ६ के उपखंड (१) के सब क्लाज की में "each mortgagor" ही दिया हुआ है और उसके अनुसार यहां भी हिन्दी में जो विधेयक है "प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गई धनराशि" लिखा है। तो कानून की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी यह ठीक है। सभी बन्धककर्ता के लिये कोई प्रयोजन नहीं मालूम होता। और संशोधन के कर देने से इसमें कोई विशेष बात भी उत्पन्न नहीं हो जाती। मैं समझता हूं कि जो विधेयक में है वही ठीक है। इसलिये इसका विरोध करता हूं और अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जयराम वर्मा—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने पूरे शब्दों को नहीं देखा। क्योंकि अंग्रेजी की जो प्रति है उसमें उस स्थान पर शब्द 'एमाउण्ट्स' लिखा हुआ है जिसका अर्थ और अनुवाद 'धनराशियों' होगा। मेरे खयाल में अगर 'प्रत्येक बन्धककर्ताओं' के स्थान पर सभी 'बन्धककर्ताओं' को न मानें तो 'धनराशि' के स्थान पर 'धनराशियों' तो मान ही लेना चाहिये इसलिये कि एक 'धनराशि' का कोई योग नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह—हिन्दी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें तो 'धनराशि' से ही काम चल सकता है लेकिन अगर मक्षिका स्थाने मक्षिका रखना चाहते हैं और अंग्रेजी का बिल्कुल तर्जुमा करना चाहते हैं तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—मैं अपने संशोधन का प्रथम भाग यानी 'प्रत्येक बन्धककर्ता' के स्थान पर शब्द 'सभी बन्धककर्ताओं' रख दिया जाय, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का प्रथम भाग वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति १ में शब्द 'धनराशि' के स्थान पर शब्द 'धनराशियों' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस दूसरे संशोधन को थोड़ा सा परिवर्तित रूप में उपस्थित करूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं, पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़ तथा" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ३ तथा ४ के शब्द "प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं।

"प्रत्येक बंधककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशियों के जोड़ में मिलाने से प्राप्त योग।"

श्रीमान् जी, इसमें जिस धनराशि के लिये न्यायालय डिग्री देगा वह दो धनराशियों के जोड़ से बनी होगी। एक तो वह धनराशि जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय है, और दूसरी वह जो प्रत्येक बन्धककर्त्ता की कम की गयी धनराशियां हैं उन का जोड़ । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसमें शब्द "के जोड़" लिखे गये हैं। अगर "के जोड़" "के जोड़" दो बार लिखा होता तो ठीक मतलब निकल आता। लेकिन ऐसा लिखने से भाषा अच्छी नहीं बनती। इसलिये मैंने उन को वहां से हटा कर दूसरी जगह शब्द रख दिया है जिससे मतलब निकल आता है और भाषा भी सुधर जाती है।

इसके पहले हिस्से में उपखंड ३ लिखा हुआ है वह उपखंड २ होना चाहिये। उपखंड ३ उसमें है ही नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कत इस संशोधन के पहले अंश का संबंध है कि खंड ६ के उपखंड १(घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड ३" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं, इतना स्वीकार है। ३ गलती से हो गया है।

उसके बाद जो चौथी लाइन में "धनराशि" है वह पहले की तरह "धनराशियाँ" कर दिया जाय इतना तक स्वीकार है। लेकिन बाकी जो है यह ठीक नहीं है। वैसे भी कई मार्गेजर्स की अलग अलग लायबिलिटी का जोड़, कई आस्थान जो होंगे उन पर डिस्ट्रिब्युशन है, दोनों का जोड़ अलग अलग है। वह एक जोड़ को निकालने वाले हैं। सब को एक करना चाहते हैं। वह मंशा भी नहीं है।

इसलिये बाकी अंशों का मैं विरोध करता हूं। मैं इतना ही स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि पहले अंश में "उपखंड २" रख दिया जाय और "धन राशि" के स्थान पर "धन-राशियों" कर दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं शायद अपने को स्पष्ट नहीं कर पाया और अगर अंग्रेजी के शब्द देख लिये जायं तो स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों रकमों के अलग अलग जोड़ से अभिप्राय नहीं है। कुल धनराशि का दोनों प्रकार की धनराशियों से ही मतलब है। अंग्रेजी में बिलकुल साफ है और इसी तरह से मैंने हिन्दी की भाषा भी कर दी है। क्योंकि प्रथम धनराशि के लिये "प्रत्येक बन्धक कर्त्ता" ऐसे कोई शब्द नहीं आये हैं, "देय धनराशि के जोड़ के जोड़" वह तीसरी लाइन में वही कोई प्रश्न नहीं। उसमें तो "ऐसी धनराशि के लिये जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय" कोई जोड़ नहीं है। तो जो यह "देय धनराशि" है एक रकम वह हुई और दूसरी रकम वह हुई जो सब बन्धक कर्त्ताओं के लिये जो धनराशियां होंगी उनका जोड़ है। उस जोड़ में देय धनराशि के मिलाने से जो जोड़ होगा उसी की न्या-लय डिक्री करेगा।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको होल्ड ओवर कर लिया जाय। अभी जो कुछ कहा गया वह समझ में नहीं आया। केवल भाषा की बात है, इसलिये इसको इस जगह छोड़ कर आगे और अमेंडमेंट्स पर विचार कर लिया जाय और इसको बाद में ले लिया जाय।

अध्यक्ष—ठीक है। थोड़े वक्त के बाद लिया जाय, यानी यह खंड ६ जो है....

श्री चरणसिंह—जी नहीं, जब सारा विधेयक हो जाय तब उसके बाद ले लिया जाय क्योंकि इसका असर किसी के ऊपर पड़ता नहीं, केवल भाषा की बात है।

अध्यक्ष—ठीक है।

[अध्यक्ष]

माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा ने तो अभी संशोधन दिया है। माननीय राजस्व मंत्री को आपत्ति तो नहीं है।

श्री चरणसिंह—जी, आपत्ति है, समय के बारे में।

अध्यक्ष—तो मैं इसको पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं, समय के भीतर न आने के कारण।

खंड ६ के ऊपर मत मैं आखिर में लूंगा, जिस समय माननीय जयराम वर्मा का संशोधन तय हो जायगा।

(खंड ६ विचार पर स्थगित किया गया।)

खण्ड ७

डिक्री की अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के संबंध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिये उसके कम किये हुये अंश का भुगतान हो चुका है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ४ के शब्द "अंश का" के बाद शब्द "यथावत्" बढ़ा दिया जाय।

अंग्रेजी प्रति में "ड्यूली" शब्द था उसका कोई अनुवाद इसमें नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति ४ के शब्द "अंश का" के बाद शब्द "यथावत्" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

प्रतिकर की धनराशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना।

८—(१) किसी अनुबन्ध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (agreement, document or law for the time being in force) में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि को तीन चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना बन्धक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन, बन्धक किये हुये आस्थानों के संबंध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्त्ता या वाद ऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के संबंध में ऐसे बन्धककर्त्ता या वाद ऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमन्, इसमें यह शब्द दोबारा लिखा गया है, गलती से, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द "में" निकाल दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है। स्वीकार कर लिया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द "में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हुये भी" और शब्द "सुरक्षित" के बीच शब्द "किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन" बढ़ा दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हुये भी" और शब्द "सुरक्षित" के बीच के शब्द "किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मेरा संशोधन यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "सुरक्षित" के बाद शब्द "व असुरक्षित" बढ़ा दिये जायं।

मैं आप की इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"8 (1) Notwithstanding anything in any agreement, document or law for the time being in force, a decree relating to a secured debt passed in any suit to which this Act applies—

(*a*) shall, in so for as the compensation for the mortgaged estate is concerned, be executed to the extent of three-fourths amount only against such compensation."

[(१) किसी अनुबन्ध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पावित हो सकेगी,]

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

मैं यहां पर यह तरमीम करना चाहता हूं कि 'सीक्योर्ड डेट' के बाद "अनसीक्योर्ड-डेट" बढ़ा दिया जाय। मैं यह क्यों चाहता हूं इसके लिये इससे आगे पढ़ना जरूरी है। (ए) में लिखा है--

" To the extent of three.fourths of the rehabilitation grant. "

[पुनर्वासन अनुदान के तीन चौथाई तक।]

और (बी) में जनाबवाला यही अल्फाज हैं और वह है रिहैबिलिटेशन ग्रांट के मुताल्लिक कि उसमें भी तीन-चौथाई रिहैबिलिटेशन ग्रांट महाजन को दिया जा सकेगा। जनाबवाला, इससे वाकिफ हैं कि जहां तक डेट्स के प्रिफरेंस का ताल्लुक है, जहां तक उनके पेमेंट्स की प्रायरिटी का ताल्लुक है हमेशा सीक्योर्ड डेट को अनसीक्योर्ड डेट के ऊपर तरजीह दी जाती है। तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि यहां पर मामला उसके बरअक्स क्यों है। अगर इसी तरीके पर छोड़ दिया जाय और यह अमेंडमेंट न किया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि मार्गेज डेट वाला यानी वह शख्स कि जिस का सीक्योर्ड डेट होगा वह तो तीन-चौथाई तक हासिल कर सकेगा और अनसीक्योर्ड डेट वाला पूरा ले जायगा। मैं समझता हूं कि ये मंशा कानून का नहीं हो सकता और न होना चाहिये क्योंकि यह जाहिर है कि जब तक आप एक्जेम्पशन न करें अनसीक्योर्ड डेट के मुताल्लिक भी उस वक्त तक उस कर्जदार को यह राइट हमेशा हासिल रहेगा कि वह अगर चाहे तो पूरे का पूरा अपनी डिक्री में ले जाय। यह चीज मैं गलत समझता हूं और यह कि मेरी अक्ल से कम अज कम बाहर है कि सीक्योर्ड डेट वाले से ज्यादा अनसीक्योर्ड डेट वाले को रिआयत दी जाय और उसको इसका मौका दिया जाय कि वह तो पूरी की पूरी रकम कम्पेंसेशन मनी की और रिहैबिलिटेशन ग्रांट की ले जाय और जो शख्स सीक्योर्ड डेट वाला है वह सिर्फ तीन चौथाई तक ले सके। मैं समझता हूं कि गालिबन जिस वक्त यह चीज इधर की गयी है उस वक्त इसका खयाल नहीं रहा और यह गलती गालिबन जान बूझकर नहीं बल्कि वैसे ही रह गयी है क्योंकि इस पर शायद उस वक्त गौर नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस तरमीम को मंजूर फरमायेंगे।

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजाहिर यह कहना वाकई ठीक मालूम होता है कि सीक्योर्ड डेट वाला तो केवल अनुदान और प्रतिकर का तीन चौथाई ले सकेगा और असुरक्षित यानी सिम्पिल मनी डेट वाला सारा ले जायगा लेकिन यह कोई सहबन नहीं हुआ है, जानबूझ कर किया गया है और वह इस लिये कि असुरक्षित डेट वाला जो है वह इस प्रतिकर और अनुदान के खिलाफ नहीं प्रोसीड करेगा क्योंकि यह जो कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट है यह तो उसके कर्ज को देखते हुये बहुत थोड़ी रकम है। वह तो उसकी गिरफ्तारी निकलवायेगा। तो वह अपना कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो देगा ही और और चीजें भी देगा। इसलिये तीन-चौथाई करने से जहां तक सिम्पिल मनी डेट की बात थी उससे कोई फायदा नहीं होता था। सिक्योर्ड डेट में हमने कर दिया कि तीन चौथाई लेगा। तो वह तो हमने सेक्शन ७३ आफ दि ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत यह कर दिया कि आगे वह, प्रोसीड नहीं कर सकता और जायदाद के खिलाफ सिक्योर्ड डेट वाला प्रोसीड नहीं कर सकता और जितनी उसकी सिक्योरिटी अवेलएबुल है उसका तीन चौथाई ले सकता है। लेकिन सिम्पिल मनी डेट में तो ऐसी कोई बात हो नहीं सकती कि यही ले सकता है और नहीं। उसके सामने सारी प्रापर्टी है और उस सभी के खिलाफ वह प्रोसीड कर सकता है। तो इस कम्पेन्सेशन के खिलाफ और चीजें जिनकी वह कीमत समझता है उनके खिलाफ भी प्रोसीड कर सकता है वारण्ट निकलवाता है गिरफ्तारी का। तो फिर वह अपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट का या प्रतिकर का एक-चौथाई बचायेगा नहीं, वह तो सारा ही उसको देने को तैयार होगा। तो सिम्पिल

मनी डिक्री होल्डर प्रतिकर और रिहैबिलिटेशन ग्रांट के खिलाफ प्रोसीड ही नहीं करेगा। अगर हम सेक्शन ९ को न भी रखते तो भी उसको कोई नुक्सान होने वाला नहीं था। फिर सिम्पिल मनी डिक्री अगर हमने बचा लिया तो दूसरी डिक्री रहती है, उसके लिये तो एक चौथाई रहा तो वह भी फिर सारा ले जायगा। तो इस तरह की बातें सिक्योर्ड डिक्री में पेश नहीं आती हैं। इस तरह की बातें मनी डिक्री में पेश आती हैं। तो उसमें तीन चौथाई कर दिया या सारे का सारा करते उससे कोई फायदा नहीं था और सिक्योर्ड डिक्री में वह गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो ख्वाजा साहब का संशोधन जब मैंने देखा था उस वक्त मेरी उनकी बात चीत हुई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि इस पर विचार करेंगे। लेकिन विचार करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा कि जैसा विधेयक में है वैसे ही रहना ठीक है। इसमें तीन-चौथाई या एक चौथाई करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ख्वाजा अतहर हुसेन साहब के सशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि माननीय मंत्री जी यह कैसे कहते हैं और कैसे यह मुनासिब उनकी समझ में आता है कि डिस्क्रीमिनेशन किया जाय सिक्योर्ड डेट में और अनसिक्योर्ड डेट में। मैं समझता हूं कि उसूलन यह चीज गलत है। उसके बाद आप यह कह जाते हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिये, जेलखाने जाने के भय से अपना सर्वस्य समर्पण कर देगा महाजनों के पास। श्रीमान्, वास्तविकता यह है कि अपनी स्वतंत्रता कोई पसन्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बीबी और बच्चों का भविष्य देखेगा। अब कोई जमींदार जेलखाने से भागेगा नहीं क्योंकि बात यह है कि अगर वह जेलखाने से डरता है तो उसके बीबी और बच्चे फांसी पर पहुंच जाते हैं। उनको वह क्या खिलायेगा और उनको कैसे पालेगा। कोई पिता इतना स्वार्थी नहीं हो सकता है कि अपने बच्चों के लिये वह कुछ न करे और महज एक शारीरिक सुख के लिये या जेलखाने के कष्ट से भाग कर वह सब कुछ महाजन को दे दे। यह दलील कोई ऐसी दलील नहीं है जो इस सदन में शोभा दे। लिहाजा आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह डिस्क्रीमिनेशन जो है यह इसी जगह नहीं बल्कि आगे चलकर ऐसी सूरत अख्तियार कर सकता है कि कोई किसी को ६ में चैलेंज कर दे तो वहां अदालत की कसौटी पर यह टिक न सके। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस ऐक्ट से हम जमींदारों को फायदा है और इसी भय से कि कहीं यह फायदा जो सरकार आज हमको दे रही है वह आप देखेंगे कि कहीं इंडियन कांस्टीट्यूशन का इन्फ्रिन्जमेंट न हो। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्लासिफिकेशन करके इस तरह के डिस्क्रीमिनेशन को मान्यता प्रदान की है। आज यह अपनी हिफाजत के लिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि हो सके उनको कोई विशेष आपत्ति न हो तो इंसिक्योर डेट्स के लिये भी कुछ अधिरक्षण प्रदान किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस हाउस में यह दलील पेश करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री ख्वाजा अतहर हुसैन साहब ने पेश किया है वह कतई इस बिल में नहीं लाया जा सकता है। इसका कारण है क्योंकि यह जो बिल है यह तो केवल जमींदारों का कर्जा कम करने के लिये है और आपका अमेंडमेंट रिश्ता रखता है केवल इंसिक्योर डेट से। इसलिये इसको बिल में शामिल करना जैसा कि इस बिल के मकसद में शुरू में दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह उसके भी खिलाफ है और बुद्धि के भी खिलाफ है। जहां सिक्योर डेट के लिये यह बिल लाया गया है उसमें वहां इंसिक्योर डेट का इन्तजाम करना गलत है। क्योंकि सिक्योर्ड डेट कम किया जायगा और इनसिक्योर्ड डेट को इसके दायरे से बाहर रहने दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक उसूल है क्योंकि इनसिक्योर्ड डेट में रिस्क बहुत काफी होता है। और जो रुपया सिक्योर्ड डेट का होता है वह सब वसूल हो जायगा। इसीलिये इसको सिक्योर्ड डेट कहा जायगा क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं उनमें रिस्क है और हो सकता है कि एक पाई भी न मिल सके। इसलिये जो दूसरी दलील है कि इनसिक्योर्ड डेट्स को संरक्षण दिया जाय यह हाउस में नहीं टिक सकती है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यह कानून बहुत काफी सोच समझ कर बनाया गया है और जो व्यवस्था इसमें की गई है वह बिना सोचे समझे नहीं की गयी है। जिस बात को आप आज सोच रहे हैं शायद जब कानून बनाया गया था उस समय दलील पेश की गयी होगी लेकिन इसी कारण से वह ठुकरा दी गयी होगी इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की दलील स्टैंड नहीं कर सकती है। इसलिये यह संशोधन स्वीकृत नहीं होना चाहिये। जहां तक सेक्शन ७ है उसमें और ८(ए) में कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूम होता है मैं समझता हूं कि ८(ए) रिडेंडेंट मालूम होता है। जब कि ऊपर कहा गया है कि दफा ७ में कि "After the amount"

[धनिराशि के बाद.....]

अध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें, नया संशोधन पेश न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं रेलेवेंट हूं। अगर मैं सदन को पूरा विश्वास दिला दूं कि यह ८ (ए) जिसमें यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं वह रिडेंडेंट है तो यह उनका अमेंडमेंट और भी रिडेंडेंट हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई दूसरी सिचुएशन अराइज नहीं हो सकती है तो यह दलील हाउस में स्टैंड नहीं कर सकती है। इसलिये इसको आउट राइटली थ्रो आउट कर देना चाहिये।

श्री अहतर हुसैन ख्वाजा---आनरेबिल मिनिस्टर मुझे माफ फरमायेंगे अगर मैं यह कहूं कि उनके आर्गूमेंट्स ने मुझे अपील नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह है कि दो आल्टरनेटिव हैं और जस्टिस डिमांड करती है वह अगर चाहे तो दोनों में से जिसको चाहे उसको ऐक्सरसाइज करें। आपके लिये यह मुनासिब नहीं है कि आप मुझको बांध दें कि तुमको तो एक ही आल्टरनेटिव एप्लाई करना होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हो सकता है कि एक आदमी यह सोचे आया जेलखाने जाना तीन महीने के लिये बेहतर होगा या अपने बच्चों के लिये जरियेमाश का इन्तजाम करना। यह हर इन्सान अपनी सेंस के हिसाब से अपने माहौल में, अपनी जरूरत को देखते हुए एक खास फैसला खास क़िस्म का करता है। कोई वजह नजर नहीं आती कि उसको इस फैसले से रोका जाय। आपने एक प्रापर्टी इक्वायर की और आपने उस प्रापर्टी की आर्बीट्रेरी वैल्यु फिक्स की और उसके लिये आपने एक मुआविजा दिया। मैं यह समझता हूं कि उसको बहैसियत एक सिटीजन के, एक इन्सान के इसका हक हासिल होना चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों की रोजी का इन्तजामकर सके। जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि इसको किसी भी हालत में लोन में शामिल न होना चाहिये। आपने जब उसका जो पहला जरियामाश था उसको खत्म कर दिया तो ऐसी हालत में आप कम से कम उसकी इतनी तो मदद करें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक वेलफेयर स्टेट का यह फर्ज है कि वह अपने सिटीजन को एम्पलायमेंट दे। एक सिटीजन जो बदकिस्मती से या अपने कर्मों की वजह से अपने पहले प्रोफेशन से डिप्राइव हो गया है जिससे वह अपनी रोजी कमाता था तो उस वेलफेयर स्टेट का फर्ज हो जाता है कि उसे वह मदद दे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बंगाल में जिस वक्त यह लेजिस्लेशन आया था हालांकि वह पास नहीं हो सका तो उसमें आधा सेक्योर्ड कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि हर जगह जहां पर एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है ईस्टर्न योरप को ले लीजिये, साउथ ईस्ट यूरोप को ले लीजिये, चाइना ले लीजिये वहां गवर्नमेंट ने यह जरूर प्रोवाइड किया है कि वह शख्स अपनी रोजी कमा सके। अपने पैरों पर वह खड़ा हो सके। मैं समझता हूं कि, चाइना की मिसाल ले लीजिये तो यह कहना कि चाइना में लैंडलार्ड्स की कुल प्रापर्टी खत्म कर दी गई यह ग़लत है। चाइना में लैंडलार्ड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक फ्यूडल लैंडलार्ड्स और दूसरे जो खुदकाश्त करने वाले थे। वहां बड़े

बड़े फार्म्स जो माडर्न तरीके से चलाये जाते थे उनको भी छोड़ दिया। चाइना रिकांस्ट्रक्टेड का एक आर्टिकिल मेरे पास है उसमें आप देखेंगे कि चाइना एग्रेरियन लैंड रिफार्म किस तरह से शुरू हुआ है। जनाब देखेंगे कि चाइना की हालत वही थी जो आज हिन्दुस्तान की है। वहां भी इसी तरह से ग़रीब काश्तकार थे। लैंडलेस लेबरर थे जैसे कि आज यहां हैं। चाइना में क्या किया गया उसको मैं अंग्रेजी में आपकी इजाजत से दो एक लाइन्स में पढ़ देना चाहता हूं।

अध्यक्ष---आप ट्रांन्सलेट कर दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---बहुत अच्छा। जो रिच् पेजेन्ट एक्नामी थी उसको उन्होंने बदस्तूर कायम रक्खा और उन्होंने जो रिच पेजेन्ट्स की सरप्लस होलिंग्स जो थीं उनको एक्वायर किया।

श्री चरणसिंह---कर्जे से इसका क्या वास्ता है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं अर्ज करता हूं कि कर्जे से इसका क्या वास्ता है। मैं समझता हूं कि मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा प्वाइंट यह है कि एक वेल फेयर स्टेट का यह फर्ज अव्वलीन है कि वह अपने हर सिटीजन के लिये मीन्स आफ सबसिस्टेंस प्रोवाइड करे। मैं यह समझता हूं कि अगर एक शख्स की प्रापर्टी ली जा रही है और रिक्वीजिशन की जा रही है किसी तरह का मुआविजा देकर या बिला मुआविजा के तो वैहैसियत वेल फेयर स्टेट के स्टेट का यह फर्ज है कि वह उस आदमी को रिहैबिलिटेट करे और इतना प्रोवाइड करे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने बच्चों की वह परवरिश कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह वेल फेयर स्टेट नहीं कहलायेगी। यह मेरी आरगुमेंट है और इसी चीज को डैवलेपमेंट करने के लिये मैंने यह दलील आपके सामने पेश की है।

आगे चलकर आप यह मुलाहिजा फरमायेंगे कि इसमें जो मुआविजा का ...

अध्यक्ष---आप मुआविजे के सिलसिले में कह रहे हैं कर्जे कि सिलसिले में नहीं कह रहे हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं कर्जे के मुताल्लिक ही अर्ज कर रहा हूं कि जो मुआविजा आप दे रहे है उसको एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको ले रहे हैं। मेरी आरगुमेंट सिर्फ इतनी है कि जनाब अगर उसको मुआविजा देते हैं तो मुआविजे को उसके पास पहुंचने दीजिये यह नहीं कि मुआविजा को उसके कर्जे में आप बदल दें। अपनी सुबह की स्पीच में आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जो बयान किया है उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं यह समझता हूं कि एक जमींदार ने रुपया लगाया जमीन में और जमींदारी की शक्ल में अगर वह बुरा है तो उतना ही बुरा यह भी है कि अगर किसी महाजन ने किसी को कर्जे की शकल में जमीन पर कुछ रुपया दिया है....

अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कुछ अधिक समय लेना चाहते हैं?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जी हां, कुछ वक्त लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष---तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१४ अक्तूबर, १९५२

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

जिला मैनपुरी में प्रथम फ़ेज में ली गयी सड़कों की तालिका

पक्की सड़कें		मील	फर्लांग
(क) नये निर्माण-कार्य—			
१. इटावा फ़र्रुख़ाबाद सड़क से कर्नाल तक		२०	०
(ख) पुनर्निर्माण कार्य—			
१—शिकोहाबाद बाह		११	०
२—एटा शिकोहाबाद		२०	०
३—मैनपुरी किरौली		१२	०
४—मैनपुरी इटावा		२३	०
(ग) कच्ची सड़कें—			
१—करहल सिरसागंज	ओ० डी० आर०	१६	०
२—मुस्तफ़ाबाद फ़रिहा	बी० आर०	६	४
३—छोरसर मुस्तफ़ाबाद	ओ० डी० आर०	९	०
४—खुनियां मैनपुरी	”	६	७
५—करोली असोगपुर घिरोर	बी० आर०	१८	०
६—मोगांव ओंग	”	५	५
७—अकबरपुर से करोली घिरोर सड़क तक ठोरवा के पास	”	३	७
८—कसमरा ओंग	”	७	४
९—कसमरा रासनगर	”	४	३
१०—किकवी हरचन्दपुर	”	१	१
११—ममकक्त सुगांव	”	४	३
१२—बरनहाल कोसिमा आर० एस० बेहसी होकर	ओ० डी० आर०	७	५
१३—सिरसागंज बेहसी	”	८	२
१४—शेखूपुर हनवंत शिकोहाबाद सड़क	बी० आर०	६	१
१५—मादन से उरावर	”	६	२

नोट:—भाग 'ग' में दी गई कच्ची सड़कों में से करहल सिरसागंज सड़क के अतिरिक्त अन्य सभी कच्ची सड़कें १ अगस्त, १९५२ ई० से जिला बोर्ड मैनपुरी को वापस कर दी गई हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११० एल ए—१९५२—८५०